[ 2022 ] 18 एस. सी. आर 987

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड

वी.

सुनील कृष्ण खेतान और अन्य

( 2013 की सिविल अपील संख्या 8249)

11 जुलाई, 2022

[ संजीव खन्ना और बेला एम. त्रिवेदी, जे. जे.]

एस. ई. बी. आई. (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 1997-विनियमन 10 विनियमन की व्याख्या

10 एस. ई. बी. आई. विनियम, 1997-आयोजितः विनियम 10 में कहा गया है कि कोई भी 'अधिग्रहणकर्ता' मतदान अधिकार प्राप्त नहीं करेगा, जो उसके या सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा रखे गए शेयरों या मतदान अधिकारों के साथ मिलकर 'अधिग्रहणकर्ता' को कंपनी में 15 प्रतिशत या उससे अधिक मतदान अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार देगा, जब तक कि ऐसा 'अधिग्रहणकर्ता' विनियमों के अनुसार शेयर प्राप्त करने की सार्वजनिक घोषणा नहीं करता है-विनियम 10 में उपयोग किया गया 'अधिग्रहणकर्ता' शब्द परिभाषा खंड (बी) से विनियमन 2 (1) तक अपना अर्थ लेता है, जो शेयरधारक को एक व्यक्ति के रूप में संदर्भित करता है और साथ में कार्य करने वाले व्यक्ति को भी संदर्भित करता है।

उसके साथ, अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियम 2 (1) के खंड (ई) द्वारा किस अभिव्यक्ति को बहुत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है-विनियम 10 तब लागू नहीं होता है जब 'अधिग्रहणकर्ता' के पास पहले से ही लक्षित कंपनी में 15 प्रतिशत से अधिक शेयर या मतदान अधिकार हैं - ' उक्त विनियम के प्रयोजन के लिए 'अधिग्रहणकर्ता' का अर्थ न केवल व्यक्तिगत व्यक्ति है, बल्कि व्यक्तिगत व्यक्ति के साथ मिलकर कार्य करने वाला व्यक्ति भी है।

एस. ई. बी. आई. (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 1997-विनियमन 44 और 45-विनियमन 11 और अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियम 44 और 45 के तहत जुर्माना-आयोजितः विनियमन 44 में 'हो सकता है' और 'नहीं होगा' शब्द का उपयोग महत्वपूर्ण है-यह अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक उल्लंघन के मामले में

और विनियम 10,11 और 12 का उल्लंघन करते हुए, विनियम 44 के तहत निर्देश जारी किया जाएगा-इसलिए, जब बोर्ड विनियम 44 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने का निर्णय लेता है और उक्त के तहत निर्देश जारी करता है।

विनियमन को दो पहलुओं को ध्यान में रखना होगा, अर्थात्, (i) प्रतिभूति बाजार का हित; और (ii) निवेशकों के हित का संरक्षण विनियमन 44 एक सख्त देयता प्रावधान नहीं है-कहीं भी, विनियमन 45 यह निर्धारित करता है कि विनियमन 10,11 या 12 के उल्लंघन के मामले में

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिग्रहण विनियम 1997 के अनुसार, बोर्ड को विनियमन 44 के संदर्भ में कार्रवाई शुरू करनी चाहिए और निर्देश जारी करने चाहिए।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (SEBI अधिनियम)-धारा 15T-अपीलीय न्यायाधिकरण की शक्ति-अपीलीय न्यायाधिकरण पहली बार आरंभ करने और उसके बाद, के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना लगाने की शक्ति नहीं है

अधिग्रहण के विनियमन 44 के तहत जारी निर्देशों के खिलाफ अपील पर निर्णय लेते हुए अधिनियम के अध्याय VI-A के तहत विनियम

विनियम, 1997-वह शक्ति अधिनियम या विनियमों में निर्दिष्ट प्राधिकरण के पास निहित है-अपीलीय न्यायाधिकरण एक अपीलीय मंच है न कि जुर्माना शुरू करने के लिए सशक्त प्राधिकरण।

धारा 15-एच के तहत कार्यवाही या अधिनियम की धारा 11,11 बी या 11 (4) (डी) के तहत स्वतः निर्देश जारी करना-यह जारी किए गए निर्देश को बरकरार रख सकता है या दरकिनार कर सकता है, या जारी किए गए निर्देश को संशोधित और प्रतिस्थापित कर सकता है।

अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियम 44 के तहत

अधिनियम की धारा 11,11 बी और 11 (4) (डी)।

शब्द और वाक्यांश-अधिग्रहणकर्ता-पर चर्चा और व्याख्या की गई।

सिद्धांत/सिद्धांत-संदिग्ध दंड का सिद्धांत।

बोर्ड की अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः ( अधिग्रहण के विनियम 10 की व्याख्या

1.1 विनियम 10 में कहा गया है कि कोई भी 'अधिग्रहणकर्ता' मतदान का अधिकार हासिल नहीं करेगा, जिसे शेयरों या मतदान के साथ लिया जाता है। जब तक ऐसा 'अधिग्रहणकर्ता' नियमों के अनुसार शेयर हासिल करने की सार्वजनिक घोषणा नहीं करता, तब तक उसके या 'सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति' के अधिकार 'अधिग्रहणकर्ता' को कंपनी में 15 प्रतिशत या उससे अधिक मतदान अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार देंगे। वह शब्द।

' विनियम 10 में प्रयुक्त 'अधिग्रहणकर्ता' का अर्थ इस प्रकार है -

विनियमन 2 (1) की परिभाषा खंड (बी), जो शेयरधारक को एक व्यक्ति के रूप में संदर्भित करता है और 'उसके साथ मिलकर काम करने वाले व्यक्ति' के रूप में भी संदर्भित करता है, जिसे अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियमन 2 (1) के खंड (ई) द्वारा बहुत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। इसलिए, अपीलीय न्यायाधिकरण ने सही निर्णय दिया है कि 'अधिग्रहणकर्ता' शब्द, जो कि कला का एक शब्द है, 25

को व्यक्तिगत शेयरधारक के शेयरों या मतदान अधिकारों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। जैसा कि परिभाषित किया गया है, इसमें भारत के सुरक्षा और विनिमय बोर्ड के साथ 'सामूहिक रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति' शामिल है।

शेयरधारक। 'अधिग्रहणकर्ता' के शेयरधारिता/मतदान अधिकार, जो कि 'कार्य करने वाले व्यक्ति' के साथ व्यक्तिगत शेयरधारक है।

कॉन्सर्ट 'यह तय करता है कि क्या' अधिग्रहणकर्ता 'को विनियमन 10 के संदर्भ में सार्वजनिक प्रस्ताव/घोषणा करने की आवश्यकता है, जो तब लागू होता है जब अधिग्रहण से पहले' अधिग्रहणकर्ता 'के मतदान अधिकार 15 प्रतिशत से कम थे, लेकिन नए अधिग्रहण पर कंपनी में मतदान अधिकारों के 15 प्रतिशत से अधिक थे। नियम 10 तब लागू नहीं होता है जब

व्यक्तिगत शेयरधारक और 'सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति' के सामूहिक मतदान अधिकार, एक साथ उस तारीख को 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं जब नए शेयर या मतदान अधिकार प्राप्त किए जाते हैं। द. विनियमन 10 का ब्रैकेटेड भाग, अर्थात् "उसके द्वारा या उसके साथ मिलकर काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा रखे गए शेयरों या मतदान अधिकारों, यदि कोई हो, के साथ लिया गया है" इस व्याख्या की पुष्टि और समर्थन करता है। [ पैरा 44] [1017-एफ-एच; 1018-ए-सी]

1.2 विनियम 10 के संदर्भ में, यह न्यायालय यह नहीं सोचता है कि मसौदा तैयार करने वालों ने कोई गलती की थी या विनियम 10 को शब्दबद्ध करते समय परिभाषा खंडों को भूल गए थे, जिसमें उन्होंने जानबूझकर 'अधिग्रहणकर्ता' अभिव्यक्ति का उपयोग किया है।

उसी को परिभाषित किया, 'व्यक्ति' शब्द के बजाय, अधिग्रहण विनियमों के विनियम 6 और 8 में किस शब्द का उपयोग किया गया है

1997. बोर्ड द्वारा दी गई व्याख्या को स्वीकार करने के लिए, हमें विनियमन 10 की भाषा का विस्तार करना होगा और इसे वैसा नहीं पढ़ना होगा जैसा कि यह पढ़ता है, यह मानते हुए कि विनियमन 10 को दो स्थितियों में लागू करने का इरादा है (i) जब अधिग्रहणकर्ता एक इकाई के रूप में, बोर्ड की हिस्सेदारी या मतदान अधिकारों को ध्यान में रखे बिना। व्यक्ति (ओं) सामूहिक रूप से कार्य करना; साथ ही (ii) जब एकल इकाई, सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति (ओं) के साथ मिलकर मतदान प्राप्त करती है।

अधिकार, और दोनों ही मामलों में मतदान अधिकार के 15 प्रतिशत की शर्त को पार करना। लेकिन इसके लिए हमें 'अधिग्रहणकर्ता' शब्द को नजरअंदाज करने या फिर से लिखने की आवश्यकता होगी, जिसमें परिभाषित के रूप में 'सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति' शामिल हैं। यह 'कला शब्द' की परिभाषा के पीछे के उद्देश्य और उद्देश्य को पराजित करता है। विनियम 10 एक व्यक्ति के रूप में और अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर मौजूदा हिस्सेदारी के संदर्भ में अधिग्रहणकर्ता के मतदान अधिकार प्राप्त करने पर लागू होता है, क्योंकि अधिग्रहण को "अधिग्रहणकर्ता द्वारा स्वयं या उसके साथ मिलकर काम करने वाले व्यक्ति द्वारा रखे गए शेयरों या मतदान अधिकारों के साथ लिया जाना है।" व्यक्ति और 'सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति' की संयुक्त पकड़ विनियमन 10 के अनुप्रयोग को निर्धारित करती है। यदि कोई 'अधिग्रहणकर्ता' पहले से ही

अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर 15 प्रतिशत से अधिक शेयर या मतदान अधिकार रखता है, इस तरह की हिस्सेदारी को विनियमन 10 के तहत अपनी व्यक्तिगत क्षमता में 'अधिग्रहणकर्ता' के शेयरों या मतदान अधिकारों की गणना करने के लिए विभाजित नहीं किया जाता है। [ पैरा 46] [1018-जी; 1019-ए-ई] 1.3 विनियमन 10 तब लागू नहीं होता है जब 'अधिग्रहणकर्ता' के पास पहले से ही लक्षित कंपनी में 15 प्रतिशत से अधिक शेयर या मतदान का अधिकार हो। उक्त विनियम के प्रयोजन के लिए 'अधिग्रहणकर्ता' का अर्थ न केवल व्यक्तिगत व्यक्ति है, बल्कि व्यक्तिगत व्यक्ति के साथ 'समन्वय में कार्य करने वाला व्यक्ति' भी है। ऐसे मामलों में, विनियमन 11 (1) तब लागू हो सकता है जब 'अधिग्रहणकर्ता' जिसकी हिस्सेदारी 15 प्रतिशत से लेकर

55 % अतिरिक्त शेयरों या मतदान अधिकारों के अधिग्रहण के बाद, शेयरों या मतदान अधिकारों का 5 प्रतिशत से अधिक मतदान अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार है। बोर्ड द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि उन्होंने विनियमन 10 में 'अधिग्रहणकर्ता' शब्द को पढ़ा था जिसका अर्थ था 'सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति' के साथ शेयरधारक को शामिल करना। इसका मतलब यह है कि विनियमन 10 का कोई उल्लंघन नहीं होगा यदि 'अधिग्रहणकर्ता', जिसमें 'सामूहिक रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति' शामिल होगा, नए शेयर या मतदान अधिकार प्राप्त करता है जब वह

पार्टियाँ। न्यायनिर्णायक अधिकारियों ने इस व्याख्या को स्वीकार कर लिया है और दंड की कार्यवाही को हटा दिया है, जो आदेश अंतिम हो गए हैं और बोर्ड द्वारा स्वीकार किए गए हैं। [ पारस 48 और 50] [1019-जी-एच; 1020-जी; 1021-ए] 1.4 बोर्ड के साथ-साथ न्यायनिर्णायक अधिकारी ने विनियमन के उद्देश्य से 'अधिग्रहणकर्ता' अभिव्यक्ति को माना है।

10 , यह तय करने के लिए कि क्या विनियमन 10 का उल्लंघन किया गया था, 'सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति' और संयुक्त हिस्सेदारी को शामिल करने पर विचार किया गया था। जहां 'अधिग्रहणकर्ता' के पास पहले से ही निर्धारित सीमा से अधिक शेयर या मतदान अधिकार थे, उन्हें विनियमन 10 का उल्लंघन करने का दोषी नहीं ठहराया गया था। [ पैरा 51] [1022-एफ-जी]

1.5 बोर्ड का तर्क कि कानून के खिलाफ कोई रोक नहीं है, सर्वविदित है, लेकिन उक्त सिद्धांत कई कारणों से लागू नहीं होता है। सबसे पहले, अपील द्वारा स्वीकार की गई व्याख्या

न्यायाधिकरण न केवल प्रशंसनीय है बल्कि उससे अधिक स्वीकार्य है बोर्ड द्वारा प्रस्तावित व्याख्या।

दूसरा, भारत का बोर्ड, सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v. सुनील कृष्ण खेतान और अन्य

जिनके पास विनियमों को अधिनियमित करने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें लागू करने, न्यायनिर्णयन करने और अच्छे और महत्वपूर्ण कारणों से उल्लंघन के मामले में दंड आदेश पारित करने की शक्ति है, ने पहले के उदाहरणों में विनियमों की व्याख्या उसी तरीके से की थी जैसा कि द्वारा व्याख्या की गई थी।

अपीलीय न्यायाधिकरण। तीसरा, वर्तमान मामले में निर्णय आदेश अधिग्रहण विनियम 1997 को निरस्त करने और अधिग्रहण को लागू करने के बाद पारित किए गए थे।

विनियम 2011। वर्तमान मामले में, इसलिए, हम एक विरासत के मुद्दे से निपट रहे हैं। अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियम 10, जैसा कि बोर्ड द्वारा दस वर्षों से अधिक समय से व्याख्या और लागू किया गया है, को बोर्ड द्वारा पलटने की मांग की गई है, जिससे दंडात्मक परिणाम पैदा होते हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और शायद ही हो।

जब हम सुशासन और विनियमन के सिद्धांत को लागू करते हैं तो यह स्वीकार्य होता है। [ पैरा 60] [1029-बी-ई]

1.6 अधिग्रहण विनियम 2011 के प्रवर्तन पर, यह

यह स्पष्ट है कि विनियमन 10 15 प्रतिशत की सीमा को पार करने वाले अधिग्रहणकर्ता पर लागू होगा, जिसे अधिग्रहण विनियम 2011 के तहत बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, विनियमन 10 तब भी लागू होगा जब कोई व्यक्तिगत अधिग्रहणकर्ता या अधिग्रहणकर्ता दूसरों के साथ मिलकर सीमा स्तर से परे शेयर या मतदान अधिकार प्राप्त करता है और ऐसे अधिग्रहणकर्ता को इसका पालन करना होगा।

लागू विनियमन। अधिग्रहण विनियम 1997 और अधिग्रहण

इसलिए, विनियम 2011 अलग-अलग पूर्व शर्तों और सीमाओं को स्वीकार करते हैं। रिलायंस को अधिग्रहण नियामक पर रखा गया सलाहकार समिति की रिपोर्ट से पता चलेगा कि विनियमन 10 पर पुनर्विचार और पुनः जांच की गई थी, जिसके अनुसार विनियमन 3 (3) को अधिनियमित किया गया था और अधिग्रहण विनियम 2011 के तहत विनियामक तंत्र का हिस्सा बनाया गया था। यह व्याख्या के कानून का एक सामान्य नियम है कि जब तक स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया जाता है, तब तक किसी कानून को पूर्वव्यापी नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, व्यक्त वैधानिक प्राधिकरण के अभाव में, नियमों या विनियमों के रूप में प्रत्यायोजित कानून, पूर्वव्यापी रूप से काम नहीं कर सकते हैं।

निश्चित रूप से अधिग्रहण विनियम 2011 में विनियम 3 (3) ने 1997 के विनियमों की कमी को स्पष्ट किया और संभवतः हटा दिया। [ पैरा 62 और 63] [1030-सी-एफ; 1031-ई] विनियमन 11 और अधिग्रहण विनियम 1997 [2022] 18 एस. सी. आर. के विनियम 44 और 45 के तहत जुर्माना।

2.1 विवादित आदेश उत्तरदाताओं द्वारा की गई अपील को खारिज कर देता है और इस प्रकार आदेश की पुष्टि करता है

प्रत्यर्थी अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियम 11 (1) के उल्लंघन के दोषी हैं। प्रत्यर्थियों ने अपीलीय न्यायाधिकरण के उक्त निष्कर्ष को चुनौती देते हुए अपील या परस्पर आपत्तियां दायर नहीं की हैं। इसलिए, हमें अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियम 11 (1) के उल्लंघन पर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है और न ही करेंगे। हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि प्रतिवादी दोषी हैं और अधिग्रहण विनियम 1997 के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर सार्वजनिक घोषणा करने में विफल रहे हैं। बोर्ड का तर्क है कि अपीलीय न्यायाधिकरण को निर्देश में संशोधन नहीं करना चाहिए था

पूर्णकालिक सदस्य द्वारा रुपये के मौद्रिक दंड के साथ सार्वजनिक घोषणा को बाध्य करने के लिए दिया गया। 25,00,000 / - . [ पैरा 64 और 65] [1032-ए-डी] 2.2 विवेक एक प्रभावी और महत्वपूर्ण उपकरण है जिसे विधायिका प्रभावी बनाने के लिए कार्यपालिका को प्रदान करती है और निहित करती है।

और सुशासन, प्रशासन, और वर्तमान मामले में-प्रतिभूति बाजार का विनियमन, जिसमें जटिलताएँ हैं।

वाणिज्यिक और आर्थिक पहलू। इसलिए, कानून बोर्ड और अधिकारियों को एक या दूसरे विकल्प को अपनाने का विकल्प प्रदान करता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि बोर्ड या अधिकारियों को अनियंत्रित और अनियंत्रित विवेकाधिकार प्राप्त है

अस्पष्ट और काल्पनिक तरीके से निजी या व्यक्तिगत राय के अनुसार कार्य करने का अधिकार क्षेत्र। विवेक, जब व्यापक आयाम का हो, और जब इसके नागरिक और दंडात्मक परिणाम हो सकते हैं, तो इसका उपयोग कानूनी और नियमित तरीके से किया जाना चाहिए। विनियम 44 और 45 के संदर्भ में, इसका तात्पर्य है कि बोर्ड के पास कार्रवाई या निष्क्रियता के विभिन्न पाठ्यक्रमों के बीच चयन करने की शक्ति है। यह विकल्प निरंकुश नहीं है लेकिन हमेशा निहित के अधीन रखा जाता है

प्रत्येक कानून में निहित सीमाएँ, सामान्य कानून द्वारा निर्धारित सीमाएँ और कानून के शासन के संवैधानिक अधिदेश। विनियमन 44 धारा 15-एच से अलग है, जो कुछ हद तक एक सख्त दायित्व प्रावधान है जो तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति खंड (i) से (iv) का पालन करने में विफल रहता है। धारा 15-एच में 'इस तरह की विफलता से अर्जित लाभ' चरण इंगित करता है कि दंड की मात्रा लागू करते समय प्राधिकरण को धारा 15-एच के खंड (i) से (iv) में उल्लिखित आवश्यकताओं का पालन करने में विफलता के कारण अधिग्रहणकर्ता द्वारा किए गए लाभ पर विचार करना चाहिए।

भारत के सुरक्षा और विनिमय बोर्ड द्वारा रखी गई रिलायंस v. सुनील कृष्ण खेतान और अन्य

2.3 हम पूर्णकालिक सदस्य द्वारा पारित आदेशों के अंतिम पैराग्राफ में दिए गए निर्देशों को दरकिनार करने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए तर्क से पूरी तरह सहमत हैं। जैसा कि ऊपर देखा गया है, सुनील कृष्ण खेतान के मामले में 2013 की अपील संख्या 23 में कथित उल्लंघन वर्ष 2006-2007 से संबंधित है। कथित उल्लंघन के लगभग आठ साल बाद 31 दिसंबर 2012 को निर्देश जारी करने का आदेश पारित किया गया था। निर्देश दिया गया है कि शेयरधारकों को 16 जून को उनके पास मौजूद शेयरों को बेचने का विकल्प दिया जाना चाहिए। 2007 उत्तरदाताओं को शेयरों का अधिग्रहण करने के लिए सार्वजनिक घोषणा करने का निर्देश देकर। 16 जून 2007 से 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया है, जब तक कि खुले प्रस्ताव में शेयर स्वीकार नहीं हो जाते। भुगतान किए गए लाभांश, यदि कोई हो, को समायोजित किया जाएगा। हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह निर्देश कभी जारी नहीं किया जा सकता है, लेकिन उक्त निर्देश जारी करने के लिए विवेक का प्रयोग पूर्वनिर्धारित और अच्छे आधारों और कारणों पर आधारित होना चाहिए। इस प्रकृति के निर्देश स्वचालित नहीं हैं और केवल तभी जारी किए जाने हैं जब वे आवश्यक और उचित हों। जारी किए गए निर्देशों की विसंगतियां और बेतुकी बातें हैं

अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश में इस पर प्रकाश डाला गया और ध्यान दिया गया। [ पैरा 79] [1044-बी-डी]

धारा 15 टी के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण की शक्ति

अधिनियम

3.1 अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियम 44 के तहत निर्देशों के रूप में एक आदेश जारी किया गया था। यह था आदेश जिसे अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती का विषय बनाया गया था। इस प्रकार हम बोर्ड के इस तर्क को स्वीकार नहीं करते हैं कि अपीलीय न्यायाधिकरण अपीलीय शक्ति का प्रयोग करते हुए अपील में दिए गए निर्देशों को दरकिनार और रद्द नहीं कर सकता था।

2 ] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जुर्माना शुरू नहीं किया गया था और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा 15-एच के तहत दंड का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। इसलिए, अपीलीय न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 15-एच के तहत जुर्माना लगाने के खिलाफ अपील पर सुनवाई नहीं कर रहा था। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 15-एच के तहत एक आदेश एक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित किया जाता है, जिसे जुर्माना लगाते समय, धारा 15-जे में उल्लिखित कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक है। [ पारस 88 और 89] [1050-डी-जी] 3.2 अपीलीय न्यायाधिकरण के पास पहली बार अध्याय के तहत विनियमों के प्रावधानों का पालन न करने के लिए दंड लगाने की शक्ति नहीं है

अधिनियम के अध्याय VI-A के तहत दंड का आदेश। धारा 15-I के संदर्भ में दंड शुरू करने और लगाने की शक्ति बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अधिकारी के पास निहित है, जो निम्न पद से नीचे नहीं है। संभागीय आयुक्त, एक न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। [ पैरा 90] [1051-ए-डी]

3.3 इस प्रकार, अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपील सं। 23 2013 का बोर्ड द्वारा लगाए गए जुर्माने को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता था

धारा 15-एच के तहत दंड के साथ विनियमन 44 के तहत। एक उचित दृष्टिकोण यह होगा कि जब अपीलीय न्यायाधिकरण यह मानता है कि विनियम 10,11 और 12 के उल्लंघन पर पूर्णकालिक सदस्य द्वारा पारित आदेश टिकाऊ है, लेकिन विनियम 44 के तहत आदेश में दिए गए निर्देश टिकाऊ नहीं हैं, तो उसे बोर्ड के लिए कार्यवाही शुरू करने और अधिनियम के अध्याय VI-A के तहत एक आदेश पारित करने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। [ पैरा 91] [1052-बी-डी]

आयकर आयुक्त, (केंद्रीय)-I, नई दिल्ली बनाम वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड (2015) 1 एससीसी 1: [ 2014 ] 12 एस. सी. आर. 1037-अनुसरण किया गया।

भारत का क्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड v. सुम कृष्ण खेतान और अन्य

पंजाब कम्युनिकेशंस लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य (1999) 4 एस. सी. सी. 727: [ 1999 ] 2 एस. सी. आर. 1033; तोलाराम रेलुमल और अन्य बनाम। बॉम्बे राज्य [1955] 1 एससीआर 158; बिपिनचंद्र परशोत्तमदास पटेल (वकील)

वी. गुजरात राज्य और अन्य (2003) 4 एस. सी. सी. 642: [ 2003 ] 3 एससीआर 533; स्वीडिश मैच एबी और एक अन्य बनाम। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और अन्य

( 2004 ) 11 एससीसी 641: [ 2004 ] 3 पूरक। एस. सी. आर. 745; आधिकारिक परिसमापक बनाम। धरती धन (पी) लिमिटेड (1977) 2 एस. सी. सी. 166: [ 1977 ] 2 एससीआर 964; दिनेश चंद्र पांडे बनाम। ऊँचा।

मध्य प्रदेश की अदालत और एक अन्य (2010) 11 एस. सी. सी. 500 [2010] 8 एस. सी. आर. 37; क्लैरियंट इंटरनेशनल लिमिटेड और एक अन्य बनाम। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (2004) 8 एससीसी 524: [ 2004 ] 3 पूरक। एससीआर 843; बैंगलोर मेडिकल ट्रस्ट बनाम। बी. एस. मुद्दप्पा और अन्य (1991) 4

एस. सी. सी. 54 [1991] 3 एस. सी. आर. 102; न्यायिक अधिकारी,

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम। भावेश पाबरी (2019) 5 एस. सी. सी. 90; गुजरात राज्य बनाम पाटिल

राघव नाथ और अन्य (1969) 2 एस. सी. सी. 187: [ 1970 ] 1 एस. सी. आर. 335; पंजाब राज्य और अन्य बनाम। भटिंडा जिला सहकारी समिति। दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (2007) 11 एस. सी. सी. 363 [2007] 11 एस. सी. आर. 14; आयकर आयुक्त, यू. पी., लखनऊ बनाम कानपुर कोल सिंडिकेट, कानपुर ए. आई. आर 1965 एस. सी. 325: [ 1964 ] एससीआर 85; आयकर आयुक्त, एम. पी., भोपाल बनाम निर्भेरम दलुरा (1997) 10 एस. सी. सी. 373-पर निर्भर था।

संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम एम/एस। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और एक अन्य (1983) 1 एससीसी 147:

[ 1983 ] 1 एस. सी. आर. 1000; प्रकाश गुप्ता बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 485; जिल सिंह बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य (2004) 8 एस. सी. सी. 1: [ 2004 ] 5 पूरक। एस. सी. आर. 272; अध्यक्ष, एस. ई. बी. आई. बनाम श्रीराम म्यूचुअल फंड्स एंड अदर (2006) 5 एस. सी. सी. 361: [ 2006 ] 2 पूरक। एस. सी. आर. 833; भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम। सैकला एसोसिएट्स लिमिटेड (2009) 7 एस. सी. सी. 432: [ 2009 ] 6 एस. सी. आर. 798;-संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[ 1983 ] 1 एससीआर 1000

संदर्भित किया गया है

पै

रा 28

[ 2004 ] 5 पूरक। एससीआर 272

पै

रा 31

संदर्भित किया गया है

[ 2006 ] 2 पूरक। एससीआर 833

संदर्भित किया गया है

पै

रा 31

[ 2009 ] 6 एससीआर 798

संदर्भित किया गया है

पै

रा 31

[ 1999 ] 2 एससीआर 1033

उस पर भरोसा करें

पै

रा 53

[ 1955 ] 1 एससीआर 158

उस पर भरोसा करें

पै

रा 55

[ 2003 ] 3 एससीआर 533

उस पर भरोसा करें

पै

रा 55

[ 2004 ] 3 पूरक। एससीआर 745

उस पर भरोसा करें

पै

रा 24

[ 2014 ] 12 एससीआर 1037

उस पर भरोसा करें

पै

रा 63

[ 1977 ] 2 एससीआर 964

उस पर भरोसा करें

पै

रा 69

[ 2010 ] 8 एससीआर 37

उस पर भरोसा करें

पै

रा 69

[ 2004 ] 3 पूरक। एससीआर 843

उस पर भरोसा करें

पै

रा 71

[ 1991 ] 3 एससीआर 102

उस पर भरोसा करें

पै

रा 71

( 2019 ) 5 एस. सी. सी 90

उस पर भरोसा करें

पै

रा 33

[ 1970 ] 1 एससीआर 335

उस पर भरोसा करें

पै

रा 82

[ 2007 ] 11 एससीआर 14

उस पर भरोसा करें

पै

रा 82

[ 1964 ] एससीआर 85

उस पर भरोसा करें

पै

रा 87

( 1997 ) 10 एस. सी. सी. 373

उस पर भरोसा करें

पै

रा 87

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 8

2013 से।

प्रतिभू के 19.06.2013 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2013 की अपील No.23 में अपीलीय न्यायाधिकरण मुंबई।

के साथ

2014 की सिविल अपील No.1762।

सी. यू. सिंह, निरंजन रेड्डी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , भार्गव वी. डी.

शिवम जसरा, अभिषेक शर्मा, साहिल रवीन, अधिवक्ता।

भारत के अपील सुरक्षा और विनिमय बोर्ड के लिए v. सुनील कृष्ण खेतान और अन्य

सोमशेखर सुंदरेसन, दिव्यम अग्रवाल, पुलकित सुखरामणी, सुश्री विधि झावर, अभिषेक, आदित्य नारायण दास, धीरज नायर, सुश्री मृदुला रे भारद्वाज, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजीव खन्ना, जे।

यह सामान्य निर्णय भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा की गई उपरोक्त दो अपीलों का निर्णय करेगा। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण 2 दिनांक 19 जून 2013 के आदेश को 2013 की अपील संख्या 23 में 'सुनील कृष्ण खेतान और अन्य बनाम' शीर्षक से चुनौती दी है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड '; और 2013 की अपील संख्या 2 में दिनांक 31 अक्टूबर 2013 का आदेश जिसका शीर्षक 'श्रीमती. माधुरी एस. पिट्टी और अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड '।

2. इन अपीलों में उठाए गए कानून के प्राथमिक प्रश्न एस. ई. बी. आई. के विनियमन 10 की व्याख्या से संबंधित हैं।

शेयर और अधिग्रहण) विनियम, 1997; अधिग्रहण विनियम, 1997 के 45 के साथ पठित विनियम 44 के तहत बोर्ड द्वारा शक्ति और प्रयोग; और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992.4 की धारा 15T के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण की शक्ति और अधिकार क्षेत्र।

ए. पृष्ठभूमि तथ्यः

I) 2013 की अपील संख्या 23 (सुनील कृष्ण खेतान का मामला)

3. खेतान इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, 5 बी. एस. ई. लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में सूचीबद्ध 1975 में निगमित एक कंपनी है।

विद्युत वस्तुओं के निर्माण और विपणन के व्यवसाय में।

4. के. ई. एल. की स्थापना स्वर्गीय श्री कृष्ण खेतान (अपील में आर, 2) ने की थी, जिनका 04 नवंबर 2012 को निधन हो गया था और उनका प्रतिनिधित्व उनके कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। प्रवर्तक समूह में उसके परिवार के सदस्य/रिश्तेदार और सहयोगी संस्थाएं शामिल हैं, जिनमें अपील में अन्य प्रतिवादी, अर्थात् सुनील कृष्ण खेतान, मैसर्स शामिल हैं। खेतानलेफिन लिमिटेड और मेसर्स। ओरिएंटल मर्केंटाइल कंपनी लिमिटेड (आर, प्रथम, आर, तृतीय और

आर 1 4th क्रमशः)।

1 1 संक्षेप में 'बोर्ड'। 2 संक्षेप में 'अपीलीय न्यायाधिकरण'।

3 इसके बाद 'अधिग्रहण विनियम 1997' के रूप में संदर्भित किया गया। 4 संक्षेप में, 'अधिनियम'। 5 संक्षेप में, 'के. ई. एल'.

2 ] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. 23 मार्च 2006 को आयोजित असाधारण आम बैठक में,

केईएल के शेयरधारकों ने 10,00,000 इक्विटी जारी करने की मंजूरी दी थी। रुपये के अंकित मूल्य के साथ शेयर वारंट। 10 / - प्रत्येक रुपये के प्रीमियम पर। 50 / - प्रत्येक उत्तरदाताओं को वरीयता के आधार पर। आवंटन की तारीख से अठारह महीने की अवधि के भीतर वारंट को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया जाना था।

6. 29 नवंबर को आयोजित असाधारण आम बैठक में

2006 , शेयरधारकों ने रुपये के अंकित मूल्य के साथ 10,00,000 वारंट जारी करने की मंजूरी दी थी। 10 / - प्रत्येक रुपये के प्रीमियम के साथ। 121 / - प्रत्येक एम/एस के लिए तरजीही आधार पर। प्रवर्तक समूह के 6 चिन्हित सदस्य खेतान लेफिन लिमिटेड (आर, 3) को अठारह महीने की अवधि के भीतर इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया जाएगा। इस असाधारण आम बैठक में रुपये के अंकित मूल्य के 25,00,000 इक्विटी शेयरों को जारी करने की भी मंजूरी दी गई थी। 10 / - प्रत्येक रुपये के प्रीमियम पर। 125 / - प्रत्येक रणनीतिक निवेशकों के लिए तरजीही आधार पर। हालाँकि, इस अपील में, हम रणनीतिक निवेशकों को शेयर जारी करने से संबंधित नहीं हैं।

7. 12 मार्च 2007 को उत्तरदाताओं ने 13,00,000 शेयरों का अधिग्रहण किया।

के. ई. एल. में दो किश्तों में अर्थात एक लेन-देन में 5,00,000 और दूसरे में 8,00,000 शेयर। वारंट के संदर्भ में पूर्ण विचार की प्राप्ति पर, के. ई. एल. ने उत्तरदाताओं को शेयर जारी किए थे, जिसके परिणामस्वरूप उत्तरदाताओं और प्रवर्तक समूह की शेयरधारिता में परिवर्तन हुआ, जिन्हें नोट करने और पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता है:

पूर्व-आवंटन

पद

-आवंटन

सीनियर शेयरधारक

के रूप में हिस्सेदारी

शे

यरधारिता

शेयरधारिता

नहीं।

नाम

31 मार्च, 2006

( 29 जून, 2006)

( 1

2 मार्च, 2007)

नहीं। प्रतिशत

नहीं। प्रतिशत

नहीं। प्रतिशत

0.51

0.13

9060

सुनील

9060

कृष्ण खेतान

1.02

2

श्री।

66784

कृष्ण

खेतान

3

केएलएल

573415

17.16

7660

4

ओएमसीएल

0.11

7660

2.68

कुल प्रवर्तक

29.63

3934639

34.21

3433268

47.68 2133468

समूह

ग्रैंड टोटल

7200000

100.00

11500000

100.00 7,200,000

100.00

8. उत्तरदाताओं को दिनांकित कारण दर्शाएँ नोटिस दिया गया था

26 के उल्लंघन के संबंध में बोर्ड द्वारा जारी मार्च 2012

" संक्षेप में, 'के. एल. एल.'।

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v. सुनील कृष्ण खेतान और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियम 10 और 11 (1)

वे कारण दिखाएँ कि अधिनियम की धारा 11 और 11 बी और अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियम 44 और 45 के तहत उपयुक्त निर्देश, जिन्हें एस. ई. बी. आई. (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 20117 के विनियम 33 और 35 के संबंधित प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है, उनके खिलाफ क्यों जारी नहीं किए जाने चाहिए। विनियमन 10 का उल्लंघन इस आधार पर किया गया था कि 12 मार्च 2007 को के. एल. एल. (आर. 113) की हिस्सेदारी व्यक्तिगत रूप से 10.52% से बढ़कर 17.16% हो गई थी और इस तरह के. एल. एल. के लिए 12 मार्च 2007 से चार कार्य दिवसों के भीतर अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियमन 14 (1) के साथ पठित विनियमन 10 के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक घोषणा करना अनिवार्य था। इसके अलावा, 12 मार्च 2007 को, अधिग्रहणकर्ताओं सहित प्रवर्तक समूह की सामूहिक हिस्सेदारी 25.83% से बढ़कर

34.21 % और इसलिए, अधिग्रहणकर्ताओं को सामूहिक रूप से 12 मार्च 2007 से चार कार्य दिवसों के भीतर अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियम 14 (1) के साथ पठित विनियम 11 (1) के प्रावधानों के अनुसार एक सार्वजनिक घोषणा करने की आवश्यकता थी।

9. उत्तरदाताओं ने विभिन्न मुद्दों पर कारण दर्शाएँ नोटिस का विरोध किया

आधार, जिनका हम बाद में प्रचार करेंगे।

10. बोर्ड के पूरे समय के सदस्य इससे सहमत नहीं थे

प्रत्यर्थियों द्वारा की गई प्रस्तुतियों और 31 दिसंबर 2012 के उनके आदेश के माध्यम से माना गया कि विनियम 10 का उल्लंघन किया गया था और

11 ( 1 ) अधिग्रहण विनियम 1997 और इसलिए, उत्तरदाता आदेश के पैंतालीस दिनों के भीतर अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियम 10 और 11 (1) के संदर्भ में लक्षित कंपनी, अर्थात् के. ई. एल. के शेयरों का अधिग्रहण करने के लिए एक संयुक्त सार्वजनिक घोषणा करेंगे। इसके अलावा प्रत्यर्थी, प्रतिफल राशि के साथ, 16 जून 2007 से उल्लंघन की तारीख को के. ई. एल. में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को भुगतान की तारीख तक 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगा, और जिनके शेयरों को खुले प्रस्ताव में स्वीकार किया जाएगा, भले ही लाभांश, यदि कोई हो, के समायोजन के बाद भुगतान किया गया हो। उपरोक्त दिशा का प्रभाव

7 इसके बाद इसे 'अधिग्रहण विनियम 2011' के रूप में संदर्भित किया गया। 8 अधिनियम की धारा 4 (1) (डी) देखें। " बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्: ( घ) पाँच अन्य सदस्य जिनमें से कम से कम तीन पूर्णकालिक सदस्य होंगे। ' विनियम 2 (1) (ओ): " लक्षित कंपनी का अर्थ है एक सूचीबद्ध कंपनी जिसके शेयर या मतदान अधिकार या नियंत्रण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित किए गए हैं या अधिग्रहित किए जा रहे हैं।

2 ] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. प्रत्यर्थियों ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी, जिसे विवादित आदेश द्वारा आंशिक रूप से अनुमति दी गई है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने माना है कि विनियम 10 का उल्लंघन नहीं किया गया था, लेकिन विनियम 11 (1) का उल्लंघन किया गया था, हालांकि सार्वजनिक घोषणा और खुला प्रस्ताव जारी करने के संबंध में निर्देश देर से टिकाऊ नहीं था।

स्टेज। कारण दर्शाओ जारी करने में लगभग 5 साल की देरी हुई।

वर्ष 2006-07 से संबंधित अधिग्रहण/घटनाओं से संबंधित सूचना, और चूंकि विवादित आदेश केवल 31 दिसंबर 2012 को पारित किया गया था, इसलिए सार्वजनिक घोषणा और खुले प्रस्ताव जारी करने के लिए पूर्णकालिक सदस्य के निर्देशों को दरकिनार कर दिया गया था। हालांकि, रुपये का मौद्रिक जुर्माना। 25,000,00 / - लगाया गया है।

II) 2013 की अपील संख्या 2 (माधुरी एस. पिट्टी का मामला)

12. पिट्टी लैमिनेशन Ltd.10 को वर्ष 1983 में शामिल किया गया था।

पी. एल. एल. की स्थापना के समय से ही इसके मामलों को नियंत्रित कर रहे हैं। 13. 22 जून 2005 को, पी. एल. एल. ने 3,90,000 शेयर आवंटित किए और 4,10,000 वारंट को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करके आर. 2,3 कर दिया। 26 अप्रैल 2006 को आर 2 3

17. बोर्ड द्वारा एक प्रश्न पर, आर, 3 ने 28 नवंबर 2011 को एक पत्र लिखा जिसमें सार्वजनिक घोषणा करने में अपनी विफलताओं से इनकार किया गया था। 22 जून 2005 और 26 अप्रैल 2006 को उनके द्वारा शेयरों का अधिग्रहण।

10 इसके बाद "पी. एल. एल". के रूप में संदर्भित किया जाता है।

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v. सुनील कृष्ण खेतान और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

इसके बाद, 19 मार्च 2012 को इस संबंध में उनकी सुनवाई की गई। इसके बाद, आर 2 3 ने 2005 और 2006 में शेयरों के अधिग्रहण के समय सार्वजनिक घोषणा करने में अपनी कथित विफलता के संबंध में तीन मौकों पर जवाब प्रस्तुत किए।

18. एक वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद, सहायक महाप्रबंधक, निगमित वित्त विभाग, निगमित प्रभाग के माध्यम से बोर्ड

पुनर्गठन ने 17 दिसंबर 2012 को पत्र जारी किया, जिसमें उत्तरदाताओं के मर्चेंट बैंकर को 26 अप्रैल, 2006 और 11 अप्रैल, 2007 को आर. 2,3 द्वारा किए गए अधिग्रहणों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव की अनुसूची को संशोधित करने के लिए अनिवार्य किया गया और इस तरह शेयरधारकों को प्रस्ताव मूल्य में संशोधन किया गया।

19. प्रत्यर्थियों ने अपील के समक्ष पत्र को चुनौती दी

न्यायाधिकरण, जिसने 31 अक्टूबर 2013 के विवादित आदेश के माध्यम से अपील की अनुमति दी और उत्तरदाताओं को वर्ष 2006 और 2007 में आर, 3 द्वारा अधिग्रहण से संबंधित बोर्ड के निर्देशों को छोड़कर अपने प्रस्ताव को जारी रखने की अनुमति दी। विवादित आदेश में कहा गया है कि बोर्ड इस तरह के पत्रों के माध्यम से सूचीबद्ध कंपनियों को निर्देश जारी नहीं कर सकता है। इस मामले में कोई विकल्प दिए बिना केवल एक सलाह के रूप में। इसके अलावा, सुनील खेतान बनाम में विवादित आदेश पर निर्भरता रखना। SEBI, 2013 की अपील संख्या 23 ने 19 जून 2013 को निर्णय लिया, अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि यह निर्धारित करने के लिए कि विनियमन 10 के तहत सीमा को पार कर दिया गया है या नहीं, सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह के सभी सदस्यों की हिस्सेदारी को समग्र रूप से गणना करनी होगी। 1 1

बी. अपीलार्थी/बोर्ड की दलीलें:

20. 12 मार्च 2007 को के. ई. एल. में के. एल. एल. (आर., 3) की व्यक्तिगत हिस्सेदारी 10.52% से बढ़कर 17.16% हो गई थी।

प्रवर्तक समूह सामूहिक रूप से 25.83% से 34.21% तक बढ़ गया था।

इस प्रकार, अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियम 10 और विनियम 11 (1) दोनों का उल्लंघन हुआ।

2013 की अपील संख्या 2 (माधुरी एस. पिट्टी 'प्रकरण) में, पूर्णकालिक सदस्य द्वारा विनियमन 44 के तहत कोई विशिष्ट आदेश नहीं है, हालांकि, जैसा कि ऊपर देखा गया है, बोर्ड द्वारा 19 सितंबर 2011 को बोर्ड की मंजूरी के लिए पी. एल. एल. द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पत्र के मसौदे में संशोधन करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे, बोर्ड के 17 दिसंबर 2012 के पत्र के अनुसार। अपीलीय न्यायाधिकरण ने प्रस्ताव पत्र के मसौदे में संशोधन का निर्देश देकर उक्त निर्देश जारी करने में बोर्ड के आचरण पर प्रतिकूल टिप्पणी की है। दलीलों के दौरान, बोर्ड ने विशेष रूप से अपीलीय न्यायाधिकरण की टिप्पणियों और प्रतिकूल निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी है कि बोर्ड द्वारा 17 दिसंबर 2012 के पत्र के माध्यम से ऐसे निर्देश जारी नहीं किए जा सकते थे। हम इस संबंध में कोई टिप्पणी या निष्कर्ष नहीं देंगे।

2 ] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21. 26 अप्रैल 2006 को पी. एल. एल. में आर, 3 की हिस्सेदारी 11.87% से बढ़कर 16.25% हो गई थी। 11 अप्रैल 2007 को आर, 3 की हिस्सेदारी 14.88% से बढ़कर 15.77% हो गई थी। हालांकि, कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई।

खुला प्रस्ताव आर 23 द्वारा या अधिग्रहणकर्ता समूह द्वारा संबंधित तिथियों से चार दिनों की अवधि के भीतर किया गया था।

22. अधिग्रहण विनियम 1997 का उद्देश्य कंपनी के शेयरधारकों को कंपनी में किसी भी बदलाव के बारे में जानकारी देना है।

कंपनी का पर्याप्त स्वामित्व और इस तरह के महत्वपूर्ण परिवर्तन के मामले में एक खुले प्रस्ताव के माध्यम से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करना।

23. विनियम 10 और 11 (1) को तदनुसार और अधिग्रहण विनियम 1997 के उद्देश्य के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए।

24. विनियम 10,11 और 12 तीन अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं जिनमें शेयरों के अधिग्रहणकर्ता या कंपनी के मतदान अधिकारों की आवश्यकता होती है।

सार्वजनिक घोषणा करना और मौजूदा शेयरधारकों के शेयरों का अधिग्रहण करने के लिए एक खुला प्रस्ताव देना। ये विनियम कुछ मामलों में ओवरलैप हो सकते हैं जैसा कि वर्तमान मामले में है, लेकिन पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा स्वीडिश मैच एबी और अन्य वी में अभिनिर्धारित किया गया है। प्रतिभूतियाँ

& भारतीय विनिमय बोर्ड और एक अन्य। 1 2 12

25. अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया विवादित निर्णय और तर्क विनियमन 10 के उद्देश्य के विपरीत है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए है कि मौजूदा शेयरधारकों को एक बार बाहर निकलने का विकल्प प्रदान किया जाता है जब कोई व्यक्ति, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो, और या एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के साथ, 15 प्रतिशत सीमा को पार करने वाले शेयरों का अधिग्रहण करता है। ऐसा अधिग्रहणकर्ता या समूह, जैसा भी मामला हो, कंपनी के प्रबंधन पर पर्याप्त मात्रा में नियंत्रण रखने में सक्षम होगा, जो

हो सकता है कि यह कंपनी के हित में न हो और इसलिए मौजूदा शेयरधारकों को बाहर निकलने का विकल्प दिया जाना चाहिए। 26. इसके विपरीत, विनियमन 11 का उद्देश्य शेयरधारकों को शेयरों के अधिग्रहण की स्थिति में बाहर निकलने का अवसर प्रदान करना है।

15 प्रतिशत या उससे अधिक लेकिन 55 प्रतिशत से कम शेयर होने या मतदान का अधिकार होने से, या तो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से काम करने वाले व्यक्तियों के साथ, वित्तीय स्थिति में किसी भी समय उनकी हिस्सेदारी या मतदान का अधिकार 5 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाता है।

वर्ष। चूंकि इस तरह का अधिग्रहण व्यक्ति या दूसरों के साथ मिलकर काम करने वाले व्यक्ति को कंपनी के प्रबंधन पर अधिक प्रभाव डालने में सक्षम बनाता है, और अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियम 11 (1)

मौजूदा शेयरधारकों को बाहर निकलने का विकल्प प्रदान करता है।

1 2 (2004) 11 एस. सी. सी 641।

27. अधिग्रहण विनियम 2011 के विनियम 3 (3) में स्पष्ट किया गया है कि अधिग्रहण विनियम 1997 में पहले से ही जो निहित था, वह यह है कि समूह के भीतर कोई व्यक्ति निर्धारित न्यूनतम शेयरधारिता सीमा को पार कर जाता है, तो ऐसा व्यक्ति तब भी सार्वजनिक प्रस्ताव देगा जब समूह की कुल हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं होता है, यानी कि सामूहिक रूप से काम करने वाले व्यक्ति। रिपोर्ट का संदर्भ दिया जाता है

श्री सी. अच्युतन की अध्यक्षता में अधिग्रहण विनियमन सलाहकार समिति, जो दर्शाता है कि विनियमन 3 (3) उस आवश्यकता को स्पष्ट करने के लिए है जो अधिग्रहण विनियम 1997 में पहले से मौजूद थी।

28. किसी कानून के खिलाफ कोई रोक नहीं है और इसलिए, यहां अपील में प्रतिवादी कोई लाभ नहीं उठा सकते हैं और दलील दे सकते हैं कि बोर्ड अपने पहले के रुख से विचलित हो रहा है। संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम का संदर्भ दिया गया है। एम/एस। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और एक अन्य। 1 3 वास्तव में, इन अपीलों में बोर्ड द्वारा दी गई व्याख्या को अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा कुछ मामलों में स्वीकार किया गया है।

मामले।

29. बोर्ड को अधिनियम की धारा 11 के तहत सुरक्षा के लिए उचित निर्देश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

शेयरधारकों के हित की धारा 15-एच के तहत धारा 15-I के साथ पठित चूककर्ता पर मौद्रिक जुर्माना लगाने के लिए और धारा 24 के तहत प्रावधानों के उल्लंघन के लिए चूककर्ता पर आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए। अधिनियम या उसके अधीन विनियम। ये अलग-अलग शक्तियां निहित हैं।

प्रतिभूति बाजार का विकास। 30. अपीलीय न्यायाधिकरण को एक खुला प्रस्ताव देने के निर्देशों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, जो अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियम 44 के साथ पठित अधिनियम की धारा 11 और 11-बी के उद्देश्य के अनुरूप हैं। पूर्णकालिक सदस्य द्वारा लक्षित कंपनी के शेयरधारकों को ब्याज का भुगतान करने के साथ-साथ खुले प्रस्ताव के लिए सार्वजनिक घोषणा करने का निर्देश देते हुए पारित आदेश, उन शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने के बड़े उद्देश्य के साथ किया गया था, जिनके पास कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करने का अधिकार और अपेक्षा है।

13 ( 1983 ) 1 एससीसी 147

14 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 485।

2 ] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यदि किसी व्यक्ति और/या सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों का शेयरधारिता/मतदान अधिकार किसी भी समय निर्धारित सीमा को पार कर जाता है।

31. धारा में उल्लिखित अपीलीय न्यायाधिकरण की शक्ति का दायरा

15 - टी का विस्तार अधिनियम की धारा 11 और 11 बी के तहत जारी किए गए निर्देशों को अधिनियम की धारा 15-एच के तहत मौद्रिक दंड के साथ प्रतिस्थापित करने तक नहीं है। अपीलीय न्यायाधिकरण की शक्ति का दायरा व्यापक है लेकिन इसका उपयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता है जो अधिनियम की योजना के साथ असंगत हो। इसके अलावा, सार्वजनिक घोषणा और खुले प्रस्ताव के लिए जारी किए गए निर्देश अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप हैं जिसमें कहा गया है कि जैसे ही वैधानिक दायित्व का उल्लंघन स्थापित होता है, दंड का पालन करना चाहिए। यह अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियम 44 के साथ पठित अधिनियम की धारा 11 और 11 बी में परिकल्पित एक विशिष्ट उद्देश्य है, जैसा कि जिल सिंह बनाम मामले में इस न्यायालय के कई निर्णयों में माना गया है। हरियाणा राज्य और अन्य, 1 5 अध्यक्ष, एस. ई. बी. आई बनाम। श्रीराम म्यूचुअल फंड और अन्य 1,6 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम। सैकला एसोसिएट्स लिमिटेड। 17

32. अपीलीय न्यायाधिकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करता है और यह क़ानून का एक निर्माण है और इसलिए, निम्नलिखित की योजना के साथ असंगत कोई आदेश पारित नहीं कर सकता हैः अधिनियम। इस प्रकार, अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निर्देशित अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियम 11 (1) के उल्लंघन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाना कानून के विपरीत है और इसके परिणामस्वरूप प्रतिभूति बाजार में निवेशकों का विश्वास भी कमजोर होगा क्योंकि चूककर्ता दायित्व से बचने में सक्षम होंगे।

33. अंत में, कारण दर्शाओ नोटिस जारी करने में देरी स्वयं अधिनियम और संबंधित विनियमों के तहत चूककर्ताओं को दोषमुक्त नहीं करेगी, जैसा कि प्रतिभूति और विनिमय के न्यायनिर्णायक अधिकारी में कहा गया है।

हमारे तर्क से, जो अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियम 10 की व्याख्या पर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों को बरकरार रखता है। दूसरा, हमने सार्वजनिक घोषणा के निर्देशों को दरकिनार करते हुए अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा है। 15 ( 2004 ) 8 एससीसी 1

16 ( 2006 ) 5 एस. सी. सी. 361 17 ( 2009 ) 7 एस. सी. सी. 432

18 ( 2019 ) 5 एस. सी. सी. 90 क्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया v. सुनील इशना खेतान और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

विनियमन के उल्लंघन के लिए विनियमन 44 के तहत छेद समय सदस्य

सुनील कुमार के मामले में अधिग्रहण विनियमन, 1997

2013 की कैनिन अपील संख्या 8249। लेकिन शक्ति के पहलू पर

अधिनियम की धारा 15 टी के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण, हमने व्यक्त किया है

निम्नलिखित कारणों से अपीलीय न्यायाधिकरण के साथ असहमति और असहमति।

ग. प्रासंगिक प्रावधानः

35. हम अधिग्रहण के प्रासंगिक प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करके शुरू करते हैं।

लैशन 1997 जो इस प्रकार हैंः

" 2. परिभाषाएँ। 2. ( 1 ) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न होः

XX

XX

X

X

( ख) "अधिग्रहणकर्ता" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से -

लक्ष्य में शेयर या मतदान अधिकार प्राप्त करता है या प्राप्त करने के लिए सहमत होता है

कंपनी, या लक्ष्य पर नियंत्रण प्राप्त करने या प्राप्त करने के लिए सहमत होती है कंपनी, या तो स्वयं या संगीत कार्यक्रम में अभिनय करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ

अधिग्रहणकर्ता के साथ;

X

X

XX

XX

( ई) "संगीत समारोह में अभिनय करने वाला व्यक्ति" में शामिल हैं

( 1 ) ऐसे व्यक्ति जो किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्य के लिए

शेयरों का अधिग्रहण या मतदान अधिकार या नियंत्रण प्राप्त करना

एक समझौते या समझ के अनुसार लक्षित कंपनी (औपचारिक) या अनौपचारिक), प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहण या अधिग्रहण द्वारा सह-संचालन

लक्षित कंपनी में शेयर या मतदान अधिकार प्राप्त करने के लिए सहमत होना

या लक्षित कंपनी पर नियंत्रण। ( 2 ) इस परिभाषा की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, निम्नलिखित

व्यक्तियों को अन्य लोगों के साथ मिलकर काम करने वाले व्यक्ति माना जाएगा। समान श्रेणी के व्यक्ति, जब तक कि इसके विपरीत स्थापित न हो जाए:

( (i) कोई कंपनी, उसकी धारक कंपनी, या सहायक कंपनी या ऐसी कोई कंपनी।

एक ही प्रबंधन के तहत कंपनी या कंपनी व्यक्तिगत रूप से या एक दूसरे के साथ;

( (ii) एक कंपनी जिसके कोई निदेशक हों, या कोई व्यक्ति जिसे सौंपा गया हो।

कंपनी की निधियों के प्रबंधन के साथ; ( (iii) खंड के उपखंड (i) में निर्दिष्ट कंपनियों के निदेशक।

( 2 ) और उनके सहयोगी; [2022] 18 एस. सी. आर

( viii) प्रायोजकों के साथ उद्यम पूंजी निधि; ( ix) वित्तीय सलाहकारों वाले बैंक, अधिग्रहणकर्ता के शेयर दलाल,

या कोई कंपनी जो एक होल्डिंग कंपनी, सहायक या

अधिग्रहणकर्ता का संबंधीः

बशर्ते कि उपखंड (ix) किसी बैंक पर लागू नहीं होगा।

जिसका एकमात्र संबंध अधिग्रहणकर्ता या किसी कंपनी के साथ हो,

वाणिज्यिक बैंकिंग सेवाएं या इस संबंध में ऐसी गतिविधियाँ प्रस्ताव के साथ जैसे कि धन की उपलब्धता की पुष्टि करना, संभालना

स्वीकृति और अन्य पंजीकरण कार्य;

( x) किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी निवेश कंपनी जिसके पास एक है

निदेशक, निधि प्रबंधक, न्यासी या शेयरधारक के रूप में ब्याज

इसकी चुकता पूंजी का कम से कम 2 प्रतिशत होना।

कंपनी या किसी अन्य निवेश कंपनी के साथ जिसमें ऐसी

व्यक्ति या उसके सहयोगी के पास कम से कम 2 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

बाद की कंपनी की चुकता पूंजी। ध्यान दें: इस खंड के प्रयोजनों के लिए सहयोगी का अर्थ है -

( क) धारा 6 के अर्थ के भीतर उस व्यक्ति का कोई रिश्तेदार। कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1); और (ख) पारिवारिक न्यास

और हिंदू अविभाजित परिवार;

XX

XX

XX

संक्रमणकालीन प्रावधान।

) कोई भी व्यक्ति, जिसके पास पाँच प्रतिशत से अधिक शेयर हैं या

अधिसूचना के दो महीने के भीतर किसी भी कंपनी में अधिकार देना होगा।

इन विनियमों में उनकी कुल हिस्सेदारी का खुलासा होता है।

कंपनी को, कंपनी को।

) प्रत्येक कंपनी जिसके शेयर निर्दिष्ट व्यक्तियों के पास हैं।

उपनियमन में (1) भारत के सुधार और विनिमय बोर्ड की तारीख से तीन महीने के भीतर।

सुनील इशना खेतान और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

कंपनी। ( 4 ) प्रत्येक कंपनी, जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, इन नियमों की अधिसूचना के तीन महीने के भीतर,

उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को खुलासा करें जिन पर कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, प्रवर्तकों के नाम और पते और /

या कंपनी पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति, और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा रखे गए शेयरों या मतदान अधिकारों की संख्या और प्रतिशत।

7. 5 प्रतिशत या उससे अधिक शेयरों का अधिग्रहण या किसी कंपनी के मतदान अधिकार।

( 1 ) कोई भी अधिग्रहणकर्ता, जो शेयरों या मतदान अधिकारों को प्राप्त करता है, जो (शेयरों या मतदान अधिकारों के साथ, यदि कोई हो, उसके पास हैं) उसे किसी भी तरह से कंपनी में पांच प्रतिशत या दस प्रतिशत या चौदह प्रतिशत से अधिक 2 [या 54 प्रतिशत या 74 प्रतिशत] शेयरों या मतदान अधिकारों का हकदार बनाएगा।

प्रत्येक चरण में उस कंपनी में अपनी शेयरधारिता या मतदान अधिकारों के कुल को कंपनी और उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट करें जहां लक्षित कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

( 1क) कोई भी अधिग्रहणकर्ता जिसने विनियमन 11,1 के उप-विनियमन (1) के तहत [या विनियमन 11 के उप-विनियमन (2) के दूसरे परंतुक के तहत] किसी कंपनी के शेयरों या मतदान के अधिकारों का अधिग्रहण किया है, वह हिस्सेदारी के कुल दो प्रतिशत या उससे अधिक की खरीद या बिक्री का खुलासा करेगा। लक्षित कंपनी को लक्षित कंपनी की पूंजी, और स्टॉक एक्सचेंज जहां लक्षित कंपनी के शेयर ऐसी खरीद या बिक्री के दो दिनों के भीतर सूचीबद्ध हैं, ऐसे अधिग्रहण या बिक्री के बाद कुल शेयरधारिता के साथ।

स्पष्टीकरण। उप-विनियम (1) और (1ए) के प्रयोजनों के लिए, अधिग्रहणकर्ता शब्द में बैंक या वित्तीय संस्थान के अलावा एक अन्य गिरवीदार शामिल होगा और ऐसा गिरवीदार निर्माण के दो दिनों के भीतर लक्षित कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज को खुलासा करेगा।

प्रतिज्ञा की।

( 3 ) प्रत्येक कंपनी, जिसके शेयर उपनियमन (1) और (1ए) में निर्दिष्ट तरीके से अर्जित किए जाते हैं, उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को बताएगी जिन पर उक्त कंपनी के शेयर हैं। उप-विनियम (1) और (1ए) के तहत जानकारी प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर ऊपर निर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक द्वारा रखे गए शेयरों की कुल संख्या को सूचीबद्ध किया गया है।

( 2 ) एक प्रवर्तक या किसी कंपनी पर नियंत्रण रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति, 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से 21 दिनों के भीतर, साथ ही साथ निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए कंपनी की रिकॉर्ड तिथि करेगाः लाभांश की घोषणा, उसके द्वारा और उसके साथ मिलकर काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा उस कंपनी में रखे गए शेयरों या मतदान अधिकारों की संख्या और प्रतिशत का खुलासा कंपनी को करें।

लाभांश की घोषणा, उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक प्रकटीकरण करें जिन पर कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, उपनियमन (1) के तहत निर्दिष्ट व्यक्तियों की हिस्सेदारी के संबंध में परिवर्तन, यदि कोई हो और प्रवर्तकों या प्रवर्तकों की हिस्सेदारी के बारे में भी। 31 मार्च तक कंपनी पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति।

( 4 ) प्रत्येक कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, को रिकॉर्ड करने के लिए निर्दिष्ट प्रारूप में एक रजिस्टर बनाए रखना होगा। विनियमन 6 के उपनियमन (3) के तहत प्राप्त जानकारी, भारत का उप-नियम और विनिमय बोर्ड v.

सुनील इशना खेतान और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

विनियम 7 का विनियम (1) और विनियम 8 का उपनियमन (2)।

XX

X

X

XX

10. पंद्रह प्रतिशत या उससे अधिक शेयरों का अधिग्रहण या किसी भी कंपनी के मतदान अधिकार।

कोई भी अधिग्रहणकर्ता ऐसे शेयर या मतदान अधिकार प्राप्त नहीं करेगा जो (उसके द्वारा या उसके साथ मिलकर काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा रखे गए शेयरों या मतदान अधिकारों के साथ, यदि कोई हो), ऐसे अधिग्रहणकर्ता को कंपनी में पंद्रह प्रतिशत या उससे अधिक मतदान अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार देता है, जब तक कि ऐसा अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहण करने की सार्वजनिक घोषणा नहीं करता है।

नियमों के अनुसार ऐसी कंपनी के शेयर।

11. जोतों का समेकन।

( 2 ) कोई भी अधिग्रहणकर्ता, जो अपने साथ मिलकर काम करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर किसी लक्ष्य में पचास-पाँच प्रतिशत (55 प्रतिशत) या उससे अधिक लेकिन पचहत्तर प्रतिशत (75 प्रतिशत) से कम शेयर या मतदान का अधिकार रखता है। कंपनी, या तो स्वयं या उसके माध्यम से या उसके साथ मिलकर काम करने वाले व्यक्तियों के साथ किसी भी अतिरिक्त शेयर का अधिग्रहण करेगी जो उसे मतदान के अधिकार या मतदान के अधिकार का प्रयोग करने का हकदार बनाता है, जब तक कि वह इनके अनुसार शेयर प्राप्त करने की सार्वजनिक घोषणा नहीं करता है।

नियमः

( 10 % ) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19 के उप-नियम (2) के खंड (बी) के संदर्भ में या इसके सख्त प्रवर्तन से दी गई किसी भी छूट के संदर्भ में जनता के लिए निर्गम का आकार उक्त नियम, यह उप-विनियम इस प्रकार लागू होगा जैसे कि शब्दों और [2022] 18 एस. सी. आर. के लिए।

बशर्ते कि ऐसा अधिग्रहणकर्ता, इसके बावजूद इन विनियमों के तहत सार्वजनिक घोषणा किए बिना विनियम 10 या विनियम 11 के उप-विनियम (1) के तहत किया गया अधिग्रहण, या तो स्वयं या उसके माध्यम से या उसके साथ मिलकर काम करने वाले व्यक्तियों के साथ, अतिरिक्त शेयर या मतदान अधिकार प्राप्त करता है जो उसे पांच प्रतिशत तक का हकदार बनाता है। ( 5 % ) निम्नलिखित के अधीन लक्षित कंपनी में मतदान का अधिकारः

( i) अधिग्रहण स्टॉक एक्सचेंज पर सामान्य खंड में खुले बाजार में खरीद के माध्यम से किया जाता है, लेकिन थोक सौदे/ब्लॉक सौदे/बातचीत वाले सौदे/तरजीही आवंटन के माध्यम से नहीं; या अधिग्रहणकर्ता की शेयरधारिता या मतदान अधिकारों में वृद्धि लक्षित कंपनी द्वारा शेयरों की पुनर्खरीद के अनुसार है;

( (ii) अधिग्रहण के बाद अधिग्रहणकर्ता की हिस्सेदारी उसके साथ मिलकर काम करने वाले व्यक्तियों के साथ नहीं बढ़ेगी। पचहत्तर प्रतिशत से अधिक। ( 75 % ) .

( 2 ए) जहाँ एक अधिग्रहणकर्ता जो (कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ)

उसके साथ मिलकर) पचास-पाँच प्रतिशत (55 प्रतिशत) या उससे अधिक लेकिन एक लक्षित कंपनी में पचहत्तर प्रतिशत (75 प्रतिशत) से कम शेयर या मतदान अधिकार रखता है, जबकि वह अपनी हिस्सेदारी को मजबूत करने का इच्छुक है।

यह सुनिश्चित करना कि लक्षित कंपनी में सार्वजनिक हिस्सेदारी सूचीबद्धता द्वारा अनुमत न्यूनतम स्तर से नीचे न आए। समझौता, वह इन नियमों के अनुसार एक सार्वजनिक घोषणा करके ऐसा कर सकता हैः

बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां लक्षित कंपनी ने कम से कम दस प्रतिशत की पेशकश करके अपने शेयरों की सूची प्राप्त की हो

( 10 % ) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19 के उप-नियम (2) के खंड (बी) के संदर्भ में या इसके सख्त प्रवर्तन से दी गई किसी भी छूट के संदर्भ में जनता के लिए निर्गम का आकार

उक्त नियम के अनुसार, यह उप-विनियम ऐसे लागू होगा जैसे शब्द और अंकों के लिए पचहत्तर प्रतिशत (75 प्रतिशत), शब्द और आंकड़े नब्बे प्रतिशत (90 प्रतिशत) प्रतिस्थापित किए गए थे।

( 3 ) विनियम 10,11 और 12 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के विनिवेश के मामले में, एक अधिग्रहणकर्ता जिसने अपने साथ मिलकर काम करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर एक सार्वजनिक घोषणा की है, उसे भारत का क्यूरिटी और एक्सचेंज बोर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।

सुनील इशना खेतान और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

शेयरों के आगे अधिग्रहण या मतदान अधिकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियंत्रण के बाद के चरण में एक और सार्वजनिक घोषणा प्रदान की गईः — ( i) अधिग्रहण के सभी चरणों में अधिग्रहणकर्ता और विक्रेता दोनों समान हैं, और (ii) अधिग्रहण के सभी चरणों के बारे में प्रकटीकरण, यदि कोई हो, तो विनियमन 18 के संदर्भ में जारी प्रस्ताव पत्र में और पहले में किए जाते हैं। सार्वजनिक घोषणा।

स्पष्टीकरण। — विनियम 10 के प्रयोजनों के लिए और

विनियम 11, अधिग्रहण का अर्थ होगा और इसमें शामिल होंगे-(ए) प्रत्यक्ष

किसी सूचीबद्ध कंपनी में अधिग्रहण जिस पर नियम लागू होते हैं; (बी) कंपनियों के अधिग्रहण के आधार पर अप्रत्यक्ष अधिग्रहण, या

सूचीबद्ध या गैर-सूचीबद्ध, चाहे वह भारत में हो या विदेश में।

12. किसी कंपनी पर नियंत्रण का अधिग्रहण।

नियमों के अनुसारः बशर्ते कि इसमें निहित कुछ भी नियंत्रण में किसी भी परिवर्तन पर लागू नहीं होगा जो एक विशेष संकल्प के अनुसरण में होता है।

एक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा पारित किया गयाः

बशर्ते कि कंपनियों के तहत निर्दिष्ट डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की विशेष संकल्प सुविधा को पारित करने के लिए

( डाक मतपत्र द्वारा प्रस्तावों को पारित करना) नियम, 2001

भी प्रदान किया जाता है।

स्पष्टीकरण-इस विनियमन के प्रयोजनों के लिए, अधिग्रहण में लक्ष्य के नियंत्रण का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अधिग्रहण शामिल होगा।

कंपनियों के अधिग्रहण के आधार पर कंपनी, चाहे वह सूचीबद्ध हो या

गैर-सूचीबद्ध और चाहे वह भारत में हो या विदेश में।

अधिग्रहण के विनियमन 10 का D.Interpretation

लेशन्स, 1997:

36. विनियमन 6, एक संक्रमणकालीन प्रावधान में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के पास किसी कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर या मतदान का अधिकार है, अधिग्रहण विनियम 1997 की अधिसूचना के दो महीने बाद, कंपनी को कुल हिस्सेदारी दी जाएगी। 19 प्रत्येक कंपनी

अधिग्रहण विनियम, 1997 की धारा 6 (1)।

2 ] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिग्रहण विनियम 1997 की अधिसूचना के तीन महीने के भीतर, उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को, जिनमें कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, ऐसे व्यक्ति द्वारा रखे गए शेयरों की कुल संख्या का खुलासा करना आवश्यक है। 20 कंपनी पर नियंत्रण रखने वाले प्रमोटर या व्यक्ति को दो महीने के भीतर, उसके और उसके साथ मिलकर काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा रखे गए मतदान अधिकारों की संख्या और प्रतिशत का खुलासा कंपनी को करना आवश्यक है। 21 बदले में, कंपनी को तीन महीने के भीतर उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को, जिनमें कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, प्रवर्तकों या कंपनी पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्तियों के नाम और पते, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा रखे गए शेयरों या मतदान अधिकारों की संख्या और प्रतिशत का खुलासा करना आवश्यक है। 2 2

37. विनियम 7 में कहा गया है कि कोई भी अधिग्रहणकर्ता जो पहले से रखे गए शेयरों या मतदान अधिकारों के साथ शेयर या मतदान अधिकार प्राप्त करता है।

उसके द्वारा, जो उसे किसी भी तरह से कंपनी के 5 प्रतिशत या 10 प्रतिशत या 14 प्रतिशत या 54 प्रतिशत या 74 प्रतिशत से अधिक शेयरों या मतदान अधिकारों का हकदार बनाता है, हर स्तर पर कंपनी और स्टॉक एक्सचेंजों को अपनी हिस्सेदारी या मतदान अधिकारों का खुलासा करता है जहां शेयर सूचीबद्ध हैं। 23 विनियम 7 के उप-विनियम 1 ए में कहा गया है कि कोई भी अधिग्रहणकर्ता जिसने विनियम 11 के उप-विनियम 1 के तहत या विनियम 11 के उप-विनियम 2 के दूसरे प्रावधान के तहत कंपनी के शेयरों या मतदान के अधिकारों का अधिग्रहण किया है, वह लक्षित कंपनी को लक्षित कंपनी की शेयर पूंजी के कुल 2 प्रतिशत या उससे अधिक की खरीद या बिक्री का खुलासा करेगा, और उन स्टॉक एक्सचेंजों को जहां लक्षित कंपनी के शेयर ऐसी खरीद या बिक्री के दो दिनों के भीतर सूचीबद्ध हैं, साथ ही ऐसे अधिग्रहण या बिक्री के बाद कुल शेयरधारिता का खुलासा करेगा। विनियम 7 (1) का स्पष्टीकरण और

( 1 क) में कहा गया है कि उप-विनियम (1) और (1 ए) के लिए 'अधिग्रहणकर्ता' शब्द में बैंक या वित्तीय संस्थान के अलावा एक गिरवीदार शामिल होगा। ऐसा गिरवीदार गिरवी के निर्माण के दो दिनों के भीतर लक्षित कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज को एक प्रकटीकरण करेगा। उप-विनियम (2 ए) से

विनियम 7 में कहा गया है कि स्टॉक एक्सचेंज उप-विनियम (1) और (1 ए) के तहत अधिग्रहणकर्ता से प्राप्त जानकारी को तुरंत व्यापार पटल, नोटिस बोर्ड और अपनी वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करेगा।

उप-विनियम (3) प्रत्येक कंपनी से अपेक्षा करता है कि जिसके शेयर उप-विनियम (1) और (1 ए) में निर्दिष्ट तरीके से अर्जित किए गए हैं, वह उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को खुलासा करे, जिन पर उक्त कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं। 20 आई. बी. आई. डी. विनियम 6 (2)

21 आई. बी. आई. डी. विनियम 6 (3)

22 आई. बी. आई. डी. विनियम 6 (4)

23 आइबीआइडी विनियम 7 (1)।

38. विनियमन 6 पारदर्शिता और खुलेपन को उजागर करता है जो शेयरधारकों द्वारा किए जाने वाले प्रकटीकरण के रूप में आवश्यक है। प्रवर्तक या कंपनी पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति, साथ ही वह कंपनी जिसमें वे शेयर रखते हैं। जानकारी केवल उन स्टॉक एक्सचेंजों को नहीं दी जाती है जहां कंपनी के शेयर हैं।

सूचीबद्ध लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में भी रखे जाते हैं ताकि शेयरधारकों और अन्य लोगों को सूचित किया जा सके। इसी तरह की पारदर्शिता और खुलेपन को विनियमन 7 द्वारा अनिवार्य किया गया है जो 'अधिग्रहणकर्ता' अभिव्यक्ति का उपयोग करता है, और तब लागू होता है जब 'अधिग्रहणकर्ता' में निर्दिष्ट प्रतिशत के शेयर या मतदान अधिकार प्राप्त करता है। कंपनी। विनियम 6 सचेत रूप से 'व्यक्ति', 'प्रवर्तक' शब्दों का उपयोग करता है,

या 'कंपनी पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति', और 'अधिग्रहणकर्ता' शब्द का उपयोग नहीं करता है, क्योंकि 'अधिग्रहणकर्ता' शब्द दिया गया है, जैसा कि नीचे देखा गया है, अधिग्रहण विनियम 1997 द्वारा एक विशिष्ट कानूनी अर्थ है। विनियमन

7 , दूसरी ओर, स्पष्ट रूप से 'अधिग्रहणकर्ता' शब्द का उपयोग किया जाता है।

39. जब हम विनियमन 8 की ओर रुख करते हैं जो 'निरंतरता' से संबंधित है

प्रकटीकरण ', विनियमन' व्यक्ति ',' प्रवर्तक ', और' कंपनी पर नियंत्रण रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति 'शब्द का उपयोग करता है, जो इसमें उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं।

नियम 6. विनियम 8 प्रत्येक व्यक्ति को निर्धारित करता है, जिसमें विनियम 6 में उल्लिखित व्यक्ति भी शामिल है, जिसके पास 15 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं।

31 मार्च को मतदान का अधिकार वित्तीय वर्ष के अंत से 21 दिनों के भीतर कंपनी को एक खुलासा करेगा। एक समान है विनियम 8 के उप-विनियम (2) में प्रावधान जिसमें प्रवर्तक या किसी कंपनी पर नियंत्रण रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को खुलासा करने की आवश्यकता होती है।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 21 दिनों के भीतर, साथ ही लाभांश की घोषणा के लिए कंपनी की रिकॉर्ड तिथि, उसके द्वारा और उस कंपनी में उसके साथ मिलकर काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा रखे गए शेयरों या मतदान अधिकारों की संख्या और प्रतिशत का खुलासा करने के लिए। 'मेलजोल में अभिनय करने वाला व्यक्ति' अभिव्यक्ति को खंड (ई) में परिभाषित किया गया है

विनियमन की धारा 2 (1), जिसकी खंड की बाद में हमारे द्वारा जांच और व्याख्या की गई है, का भी इस अभिव्यक्ति में संदर्भ मिलता है।

' अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियम 2 में खंड (बी) द्वारा परिभाषित अधिग्रहणकर्ता। प्रत्येक कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, उन्हें विनियमन 8 (3) द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर और साथ ही [2022] 18 एस. सी. आर. के उद्देश्य के लिए रिकॉर्ड तिथि के भीतर उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को खुलासा करने के लिए अनिवार्य किया गया है जहां उनके शेयर सूचीबद्ध हैं।

उप द्वारा कवर किए गए व्यक्तियों की जोत के बारे में लाभांश की घोषणा विनियम 8 के विनियम (1) और (2)। विनियम 8 (4) में कहा गया है कि प्रत्येक कंपनी, जिसके शेयर सूचीबद्ध हैं, उप-विनियम (3) के तहत प्राप्त जानकारी को दर्ज करने के लिए निर्दिष्ट प्रारूप में एक रजिस्टर बनाए रखेगी।

40. अधिग्रहण विनियम 1997 में परिभाषित 'अधिग्रहणकर्ता' अभिव्यक्ति व्यापक और व्यापक है और इसकी एक विस्तृत परिभाषा दी गई है। एक 'अधिग्रहणकर्ता' एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं या उसके साथ लक्षित कंपनी पर शेयर या नियंत्रण हासिल करने या प्राप्त करने के लिए सहमत होता है। उसके साथ संगीत कार्यक्रम में अभिनय करने वाला कोई भी व्यक्ति। वाक्यांश 'प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से' के साथ-साथ अभिव्यक्तियाँ 'अर्जित शेयर या मतदान अधिकार' और 'अधिग्रहणकर्ता के साथ मिलकर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ' विस्तार को रेखांकित करता है और

'अधिग्रहणकर्ता' शब्द का व्यापक दायरा। 'अधिग्रहणकर्ता' शब्द व्यक्ति या व्यक्तिगत शेयरधारक तक ही सीमित नहीं है क्योंकि इसमें 'अधिग्रहणकर्ता' के साथ मिलकर काम करने वाला कोई अन्य व्यक्ति शामिल है। 41. धारा 2 (1) के खंड (ई) में परिभाषित 'सामूहिक रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति' अभिव्यक्ति फिर से व्यापक और विस्तृत है। खंड (ई) के उपखंड (1) के अनुसार 'सामूहिक रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति' अभिव्यक्ति में एक ऐसा व्यक्ति शामिल है, जो एक सामान्य उद्देश्य के लिए या पर्याप्त अधिग्रहण के उद्देश्य से

खंड 2 (1) के उपखंड (ई) में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6, पारिवारिक न्यास और हिंदू अविभाजित परिवारों के अर्थ के भीतर व्यक्ति के रिश्तेदार के रूप में 'सहयोगी' अभिव्यक्ति की व्याख्या की गई है। हालांकि, विनियम 2 (1) (ई) के उपखंड (2) द्वारा उठाई गई धारणा योग्य है और 'जब तक कि इसके विपरीत स्थापित न हो जाए' के अधीन है। अतः यदि

शेयरधारक (ओं) या खंड (i) से (x) में उल्लिखित व्यक्ति जो सामूहिक रूप से किसी लक्षित कंपनी के शेयर या मतदान अधिकार प्राप्त करते हैं। तथ्यात्मक मैट्रिक्स विनियमन के उपखंड (1) के खंड (ई) के रूप में निर्धारक है। 2 ( 1 ) अधिग्रहण विनियम 1997 में भारत के सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम के संबंध में एक व्युत्पन्न स्पिन निर्धारित किया गया है।

सुनील कृष्ण खेतान और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

व्याख्या का नियम, और जब उपखंड (2) के तहत धारणा उत्पन्न होती है, तब भी जब इसके विपरीत तथ्य स्थापित हो जाता है, तो न्यायनिर्णायक इस धारणा को लागू नहीं करेगा। इस धारणा को "कानून के चमगादड़ के रूप में देखा जाना चाहिए, जो धूप में उड़ते हैं लेकिन वास्तव में धूप में गायब हो जाते हैं"। 24

42. उपरोक्त व्यापक परिभाषाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी छल और छल का सहारा लेकर अधिग्रहण विनियम 1997 को पराजित करने में सक्षम न हो।

43. माधुरी एस. पिट्टी के मामले में विनियमन 10 की व्याख्या करते हुए अपीलीय न्यायाधिकरण, के मामले में उनके पहले के फैसले का उल्लेख करते हुए

सुनील कृष्ण खेतान ने राय दी हैः

" 21. विचाराधीन विनियमन का पहला घटक "अधिग्रहणकर्ता" है, दूसरा है "शेयर या मतदान अधिकार, यदि कोई हो, जो उसके पास या उसके साथ मिलकर काम करने वाले व्यक्तियों के पास है"; और तीसरा है "इस तरह का अधिकार"।

किसी कंपनी में पंद्रह प्रतिशत या उससे अधिक मतदान अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिग्रहण। आचार संहिता, 1997 में दी गई "अधिग्रहणकर्ता" और "सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों" की परिभाषाओं को पुनः प्रस्तुत किया गया है।

सुविधा के लिए नीचे दिया गया हैः

" 2 ( ख) "अधिग्रहणकर्ता" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, लक्षित कंपनी में शेयर या मतदान अधिकार प्राप्त करने के लिए सहमत होता है, या लक्षित कंपनी पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए सहमत होता है, या तो स्वयं या अधिग्रहणकर्ता के साथ मिलकर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ;

2 ( ई) "संगीत समारोह में अभिनय करने वाला व्यक्ति" में शामिल हैं -

( 1 ) ऐसे व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी समझौते या समझ (औपचारिक या अनौपचारिक) के अनुसरण में शेयरों या मतदान अधिकारों के पर्याप्त अधिग्रहण या लक्षित कंपनी पर नियंत्रण प्राप्त करने के सामान्य उद्देश्य या उद्देश्य के लिए हैं।

( 2 ) इस परिभाषा की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसी श्रेणी के अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करने वाले व्यक्ति माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत स्थापित न हो जाएः .....

24 जी. वासु बनाम में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले के शब्द। सैयद यासीन सिफुद्दीन कादरी, ए. आई. आर. 1987 ए. पी. 139।

2. "अधिग्रहणकर्ता" शब्द की परिभाषा को सरलता से पढ़ने से पता चलता है कि

स्पष्ट करें कि एक अधिग्रहणकर्ता अकेले या एक समूह के हिस्से के रूप में कार्य कर सकता है

एर्सन्स बेपरवाह अभिनय कर रहे हैं। दूसरी ओर, संगीत समारोह में अभिनय करने वाले व्यक्तियों की परिभाषा से पता चलता है कि जो लोग सहयोग करते हैं

में पर्याप्त मतदान अधिकार प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ

आर्टिकुलर कंपनी को संगीत कार्यक्रम में अभिनय करने वाले व्यक्ति माना जाएगा। इस बिंदु पर, हम उनिल खेतानव के एस. ई. बी. आई. (2013 की अपील संख्या 23 का निर्णय 19.06 पर लिया गया) से अनुच्छेद 31 को उद्धृत करना आवश्यक पाते हैं।

13 ) यहाँ नीचे उल्लेख किया गया है:

" 31. इस संबंध में यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि

एसएएसटी विनियम, 1997 कुछ व्यक्तियों/संस्थाओं को अनुमति देता है

अधिग्रहण के उद्देश्य से सामूहिक रूप से कार्य करें। यहां तक कि विनियमन 2 (ई) (1) में प्रदान की गई "सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों" की परिभाषा भी स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि इस अभिव्यक्ति में वे व्यक्ति शामिल हैं जो सहमत हैं। में शेयर/मतदान अधिकार प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करना।

एक लक्षित कंपनी या लक्ष्य कंपनी पर नियंत्रण

उनके बीच एक औपचारिक या अनौपचारिक समझ के लिए, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से। इस प्रकार, परिभाषा काफी व्यापक है और व्यक्तियों को इस उद्देश्य के लिए एक इकाई के रूप में सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश देती है।

शेयरों का अधिग्रहण/मतदान अधिकार। इसके अलावा, विनियमन 2 (ई) (2) में ऐसे विभिन्न व्यक्तियों की भी गणना की गई है जो सामूहिक रूप से कार्य कर सकते हैं और

इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, एक कंपनी, उसकी होल्डिंग कंपनी, एक

सहायक, निदेशक, प्रायोजक या ट्रस्टी के साथ म्यूचुअल फंड,

विदेशी संस्थागत निवेशक, व्यापारी बैंकर आदि। इस संदर्भ में, यदि हम नए एसएएसटी विनियम, 2011 को देखते हैं, तो हम ध्यान देते हैं कि विनियम 3 (3) विशेष रूप से प्रदान करता है कि

उप के अर्थ के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा शेयरों का अधिग्रहण

विनियम 3 (1) और 3 (2) लक्षित कंपनी के शेयरों के अधिग्रहण के लिए एक खुला प्रस्ताव देने की बाध्यता को आकर्षित करेंगे।

कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ इसकी कुल हिस्सेदारी के बावजूद

यदि ऐसे व्यक्ति की हिस्सेदारी विनियमन 10 द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है। यह प्रासंगिक है कि

ध्यान दें कि इस तरह का एक विशिष्ट और स्पष्ट प्रावधान बनाना

अधिग्रहण के दौरान व्यक्तिगत हिस्सेदारी बढ़ने की स्थिति में सार्वजनिक प्रस्ताव देने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, भले ही वह अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर काम कर रहा हो।

एस. ए. एस. टी. विनियम, 1997 में गायब। के. एल. एल. इसलिए था, सार्वजनिक प्रस्ताव और निष्कर्ष देने की आवश्यकता नहीं है

आक्षेपित आदेश जिसमें अपीलार्थी सं।

3 , अर्थात, के. एल. एल. एतद्वारा भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v निर्धारित किया गया है। सुनील कृष्ण खेतान और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

एक तरफ। किसी भी तरह से, अधिग्रहण संहिता के संशोधन के बाद से और एस. ए. एस. टी. विनियमों में विनियम 3 (3) का समावेश,

2011 विनियम 10 की प्रयोज्यता के बारे में चर्चा

एस. ए. एस. टी. विनियम, 1997 को अकादमिक बना दिया गया है।

यह कहते हुए कि, वर्तमान के तथ्यों और परिस्थितियों में मामले में, के. एल. एल. को खुला प्रस्ताव देने के लिए नहीं बुलाया जा सकता है

नई अधिग्रहण संहिता के विनियम 3 (3) को लागू करना

पीछे की ओर "।

विनियमन, 1997 का उद्देश्य दोनों के बीच एक स्पष्ट अंतर लाना है। एक ओर शेयरों का व्यक्तिगत अधिग्रहण और दूसरी ओर द्वारा अधिग्रहित शेयरों का अधिग्रहण

दूसरी ओर संगीत समारोह में अभिनय करने वाले व्यक्ति। 15 प्रतिशत का बेंचमार्क

इस प्रकार, किसी व्यक्ति पर तब लागू होगा जब वह व्यक्ति अधिग्रहण कर रहा होगा।

केवल उसकी ओर से हिस्सेदारी/मतदान का अधिकार। इसी तरह, जब हम प्रयास करते हैं

यह निर्धारित करने के लिए कि उक्त सीमा को पार कर लिया गया है या नहीं,

कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह के सभी सदस्यों की हिस्सेदारी

संगीत कार्यक्रम को समग्र रूप से गिना जाना चाहिए। कोई और। व्याख्या जो दोनों के बीच के अंतर को कम करने का काम करेगी

एक व्यक्तिगत अधिग्रहणकर्ता और "संगीत कार्यक्रम में अभिनय करने वाले व्यक्तियों" का एक समूह

एक अधिग्रहणकर्ता के रूप में। यह वास्तव में "व्यक्तियों" की अवधारणा बनाएगा।

कानून निर्माताओं का इरादा। इसलिए हम अपीलार्थी संख्या 3 पाते हैं। के विनियम 10 के प्रावधानों के संबंध में किसी भी दोष से मुक्त

वर्षों में उनके अधिग्रहण के संबंध में एसएएसटी विनियम, 1997

2006 और 2007 "।

( जोर दिया गया)

44. हम व्याख्या से सहमत हैं। नियम 10 में कहा गया है कि नहीं

'सीक्वायरर' मतदान अधिकार प्राप्त करेगा, जो शेयरों के साथ लिया जाता है।

आर उनके द्वारा या 'कॉन्सर्ट में अभिनय करने वाले व्यक्ति' के पास मतदान का अधिकार होगाजब तक ऐसा 'अधिग्रहणकर्ता' नियमों के अनुसार खरगोश प्राप्त करने की सार्वजनिक घोषणा नहीं करता है, तब तक 'अधिग्रहणकर्ता' को संगठन में 15 प्रतिशत या उससे अधिक मतदान अधिकारों का प्रयोग करने के लिए कहें। 'अधिग्रहणकर्ता' शब्द का उपयोग किया जाता है

ईगुलेशन 10 का अर्थ परिभाषा खंड (बी) से लेकर विनियमन तक है।

( 1 ) , जो शेयरधारक को एक व्यक्ति और 'व्यक्ति' के रूप में संदर्भित करता है।

उनके साथ 'कॉन्सर्ट में', जो अभिव्यक्ति बहुत व्यापक रही है

अधिग्रहण विनियम 997 के विनियम 2 (1) के खंड (ई) के माध्यम से निर्दिष्ट। इसलिए, अपीलीय न्यायाधिकरण ने सही निर्णय दिया है कि शब्द [2022] 18 एस. सी. आर.

' 'अधिग्रहणकर्ता', जो एक कला शब्द है, 25 को व्यक्तिगत शेयरधारक के शेयरों या मतदान अधिकारों तक सीमित नहीं होना चाहिए क्योंकि परिभाषित शब्द में शेयरधारक के साथ 'सामूहिक रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति' शामिल है। 'अधिग्रहणकर्ता' के शेयरधारिता/मतदान अधिकार, जो कि व्यक्तिगत शेयरधारक है और 'सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति' के साथ मिलकर यह तय करता है कि क्या 'अधिग्रहणकर्ता' को विनियमन 10 के संदर्भ में सार्वजनिक प्रस्ताव/घोषणा करने की आवश्यकता है, जो तब लागू होता है जब अधिग्रहण से पहले 'अधिग्रहणकर्ता' के मतदान अधिकार 15 प्रतिशत से कम थे, लेकिन नए अधिग्रहण पर कंपनी में मतदान अधिकारों के 15 प्रतिशत से अधिक थे। विनियमन 10 तब लागू नहीं होता है जब व्यक्तिगत शेयरधारक और 'सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति' के सामूहिक मतदान अधिकार, नए शेयर या मतदान अधिकार प्राप्त होने की तारीख को 15 प्रतिशत या उससे अधिक होते हैं। विनियमन 10 का ब्रैकेटेड भाग, अर्थात् "उनके द्वारा या उनके साथ मिलकर काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा रखे गए शेयरों या मतदान अधिकारों, यदि कोई हो, के साथ लिया गया है" इसकी पुष्टि और समर्थन करता है।

व्याख्या।

45. जब किसी कानून में किसी शब्द/शब्द को एक विशेष तरीके से परिभाषित किया गया है तो दुभाषिया यह मान सकता है कि शब्द/शब्द होना चाहिए निर्धारित अर्थों में समझा। सिद्धांत अधिक के साथ लागू होता है

जब शब्द/शब्द की परिभाषा को सामान्य अर्थ से अलग कानूनी और मूल अर्थ दिया जाता है, तो लेखक मांग करता है कि पाठक को शब्द/शब्द को उस अर्थ में समझना चाहिए।

परिभाषित किया। जब दी गई सामग्री और अर्थ तकनीकी होता है, तो दुभाषिया यह अनुमान लगाने का हकदार है कि मसौदा तैयार करने वालों का इरादा सामान्य, शाब्दिक या प्रथागत अर्थ से हटना और हटना है। इसलिए, जब कोई वैधानिक अधिनियम जानबूझकर किसी शब्द या अभिव्यक्ति को परिभाषित करता है

स्पष्ट अर्थ के अभाव में सामान्य अर्थ को बढ़ाना या सीमित करना। इसके विपरीत, परिभाषित शब्द में वह शामिल होगा जो अधिनियम में प्रस्तावित, अधिकृत, किया गया या निर्दिष्ट किया गया है। 26 इस सिद्धांत को तब भी खारिज किया जा सकता है जब पढ़ा और लागू की गई परिभाषा इसके साथ सहमत नहीं होगी

विषय और संदर्भ जिससे प्रावधान अव्यवहारिक या अनुचित हो जाता है।

46. विनियमन 10 के संदर्भ में, हमें नहीं लगता कि मसौदा तैयार करने वालों ने कोई गलती की थी या परिभाषा भूल गए थे खंडों के दौरान शब्द विनियमन 10, जिसमें उन्होंने सचेत रूप से उपयोग किया है

25 लॉर्ड निकोल्स ने 'कला' वाक्यांश को कानूनी अर्थों में अधिनियम के उद्देश्यों के लिए एक विशिष्ट और सटीक अर्थ वाले शब्द के रूप में परिभाषित किया है-ब्रूक्स बनाम ब्रूक्स (1995) 3 ऑल ईआर 257 देखें।
26 लॉर्ड लॉरी, वायरे वन जिला परिषद बनाम। पर्यावरण राज्य सचिव, 1990 2 एसी 357।

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v. सुनील कृष्ण खेतान और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

'अधिग्रहणकर्ता' अभिव्यक्ति, उसी को परिभाषित करने के बाद, 'व्यक्ति' शब्द के बजाय, अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियम 6 और 8 में किस शब्द का उपयोग किया गया है। बोर्ड द्वारा दी गई व्याख्या को स्वीकार करने के लिए, हमें विनियमन 10 की भाषा का विस्तार करना होगा और इसे वैसा नहीं पढ़ना होगा जैसा कि यह पढ़ता है, यह मानते हुए कि इरादा विनियमन 10 को दो स्थितियों में लागू करना है (i) जब अधिग्रहणकर्ता एक इकाई के रूप में, जिसमें कार्य करने वाले व्यक्ति (ओं) की हिस्सेदारी या मतदान अधिकारों को ध्यान में रखे बिना।

सङ्गहि सङ्गहि (ii) जखन एकल संस्था सङ्गमे सङ्गमे काज करैवला व्यक्तिक सङ्ग मिलिकऽ मतदानक अधिकार प्राप्त करैत अछि आ दुनू मामलामे मतदानक अधिकारक 15 प्रतिशतक शर्तकेँ पार करैत अछि। लेकिन इसके लिए हमें 'अधिग्रहणकर्ता' शब्द को नजरअंदाज करने या फिर से लिखने की आवश्यकता होगी, जिसमें परिभाषित के रूप में 'सामूहिक रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति' शामिल है। यह 'कला शब्द' की परिभाषा के पीछे के उद्देश्य और उद्देश्य को पराजित करता है। विनियमन 10 मतदान के अधिकार प्राप्त करने वाले 'अधिग्रहणकर्ता' पर लागू होता है, एक व्यक्ति के रूप में और सामूहिक रूप से मौजूदा होल्डिंग के संदर्भ में।

सामूहिक रूप से कार्य करना 'विनियमन 10 के अनुप्रयोग को निर्धारित करता है। यदि कोई 'अधिग्रहणकर्ता' पहले से ही अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर 15 प्रतिशत से अधिक शेयर या मतदान का अधिकार रखता है, तो इस तरह की हिस्सेदारी को शेयरों की गणना करने के लिए विभाजित नहीं किया जाता है। या विनियमन 10 के तहत अपनी व्यक्तिगत क्षमता में 'अधिग्रहणकर्ता' के मतदान अधिकार।

47. विनियमन 10 की भाषा और शब्दरचना अधिग्रहण के विनियमन 11 (1) की भाषा और शब्दरचना से स्पष्ट रूप से भिन्न है।

विनियम 1997। विनियमन 11 (1) में, एक अधिग्रहणकर्ता, या तो स्वयं या उसके माध्यम से या उसके साथ मिलकर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ, 15 प्रतिशत या उससे अधिक लेकिन 55 प्रतिशत से कम शेयर/मतदान अधिकार रखता है, उसे विनियमन के अनुसार सार्वजनिक घोषणा करने की आवश्यकता होती है, जब वह या तो स्वयं या उसके माध्यम से या उसके साथ मिलकर काम करने वाले व्यक्तियों के साथ, अतिरिक्त शेयर या मतदान अधिकार प्राप्त करता है जो उसे पहले से प्राप्त शेयरों/मतदान अधिकारों के अलावा 5 प्रतिशत से अधिक मतदान शेयरों का उपयोग करने का अधिकार देता है।

48. इस प्रकार विनियम 10 तब लागू नहीं होता है जब 'अधिग्रहणकर्ता' के पास पहले से ही लक्षित कंपनी में 15 प्रतिशत से अधिक शेयर या मतदान का अधिकार हो। द. ' उक्त विनियम के प्रयोजन के लिए 'अधिग्रहणकर्ता' का अर्थ न केवल व्यक्तिगत व्यक्ति है, बल्कि व्यक्तिगत व्यक्ति के साथ 'समन्वय में कार्य करने वाला व्यक्ति' भी है। ऐसे मामलों में, विनियमन 11 (1) तब लागू हो सकता है जब 'अधिग्रहणकर्ता' जिसके पास 15 प्रतिशत से 55 प्रतिशत के बीच शेयर या मतदान का अधिकार हो।

अतिरिक्त शेयरों या मतदान अधिकारों का अधिग्रहण 5 प्रतिशत से अधिक मतदान अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार है।

2 ] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

49. बोर्ड का तर्क है कि द्वारा व्याख्या

अपीलीय न्यायाधिकरण अधिग्रहण के उद्देश्य और उद्देश्य को विफल कर देता है

नियम 10 के अनुसार, 'सामूहिक रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति' या अन्यथा भी, एक अधिग्रहणकर्ता अपने कहने पर या किसी अन्य व्यक्ति या समूह के साथ सामूहिक रूप से कार्य करता है। 'अधिग्रहणकर्ता' और 'कार्य करने वाला व्यक्ति' शब्दों की परिभाषाएँ मेलजोल में स्थिति और तथ्य विशिष्ट होते हैं। धारा 2 (1) (ई) के उपखंड 2 के अनुसार कानूनी कल्पना विशेष रूप से निर्धारित करती है-जब तक कि इसके विपरीत स्थापित न हो जाए। हां, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जब उक्त अधिग्रहण के बाद 15 प्रतिशत से अधिक मतदान अधिकार रखने वाला 'सामूहिक रूप से काम करने वाला व्यक्ति' अलग हो सकता है, लेकिन विनियमन 10 ऐसी स्थितियों के लिए आकर्षित और लागू नहीं होता है। यह तर्क देना कि सार्वजनिक शेयरधारक ऐसी घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं और इसलिए बोर्ड की व्याख्या अधिक स्वीकार्य है, कल्पनाशील है।

लेकिन एक असंबद्ध और एक कमजोर तर्क। एक सक्रिय बाजार के लिए जोखिम लेना आवश्यक है, और वास्तव में सचिव प्रबंधन, लचीलेपन और परिवर्तन को स्वीकार करने की इच्छा में वैध परिवर्तनों पर काम करते हैं, जो कि पूर्वानुमेय नहीं हो सकता है। यह कहा जाता है कि अच्छे विनियमन को जोखिम के प्रभावी प्रबंधन को बढ़ावा देना चाहिए और इसकी अनुमति देनी चाहिए न कि जोखिम लेने से बचना चाहिए। नियामक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूंजी और अन्य विवेकपूर्ण आवश्यकताएं उचित जोखिम लेने और अत्यधिक नियंत्रण के लिए पर्याप्त हैं। जोखिम लेना। 27 इसलिए, बोर्ड की आशंका, जो संदेह और संदेह की प्रकृति में अधिक है, गलत धारणा है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

50. पर्याप्त सामग्री है, और बोर्ड द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि उन्होंने विनियमन 10 में 'अधिग्रहणकर्ता' शब्द का अर्थ पढ़ा था और

शेयरधारक को 'सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति' के साथ शामिल करें। इसका मतलब है कि अगर 'अधिग्रहणकर्ता', जिसमें 'सामूहिक रूप से काम करने वाला व्यक्ति' शामिल होगा, नए शेयर हासिल करता है तो विनियमन 10 का कोई उल्लंघन नहीं होगा। या मतदान का अधिकार जब वह व्यक्तिगत रूप से या संगीत कार्यक्रम में शामिल व्यक्ति के साथ पहले से ही लक्षित कंपनी में 15 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखता है। यह

बोर्ड द्वारा व्याख्या को स्वीकार किया गया और यहां तक कि सूचित किया गया था

27 प्रतिभूति विनियमन के उद्देश्य और सिद्धांत-प्रतिभूति विनियमन के उद्देश्य 4.2 देखें। 3 प्रतिभूति आयोगों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मई, 2003।

यूरीटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया v. सुनील शना खेतान और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]पार्टियाँ। न्यायनिर्णायक अधिकारियों ने इस व्याख्या को स्वीकार कर लिया है।

दंड कार्यवाही का विरोध किया, जिसके आदेशों ने अंतिमता प्राप्त कर ली है

बोर्ड द्वारा लगाया गया। कुछ संचारों के प्रासंगिक भाग /

पारित किए गए नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः

( सी. एफ. डी./डी. सी. आर./ए. के./आई. जी./6095 0/2006 )

( iii) अधिग्रहण विनियमों का विनियम 10 शेयरों के अधिग्रहण या मतदान अधिकारों के मामले में लागू होता है जो अधिग्रहणकर्ता या उसके साथ मिलकर काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा रखे गए शेयर अधिकारों, यदि कोई हो, के साथ मिलकर ऐसे अधिग्रहणकर्ता को मतदान लक्ष्य कंपनी के 15 प्रतिशत या उससे अधिक का उपयोग करने का अधिकार देता है। जहां प्रवर्तकों की हिस्सेदारी पहले से ही 15 प्रतिशत से अधिक है, यह विनियमन ऐसे प्रवर्तकों द्वारा ए. सी. क्यू. (एस. आई. सी.) अतिरिक्त शेयरों से शुरू नहीं होगा। आपके मामले में, कंपनी में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी 41.95% o कहा गया है। इसलिए, यदि प्रवर्तकों द्वारा वारंट को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने का आदेश

कंपनी, विनियमन 10 जैसा कि आज मौजूद है, यह अतिरिक्त इक्विटी के अधिग्रहण (एस. आई. सी.) को लागू नहीं करेगा

शेयर।

03 तारीख का पत्र " 4. अनिवार्य रूप से आपके विश्लेषण से सहमत हुए बिना,

दिसंबर 2004 में लिखा गया

आपके जवाब में निम्नलिखित कहा गया है

कनिष्क स्टील के लिए

स्पष्टीकरण;

उद्योग

सीमित

( सी. एफ. डी./डी. सी. आर./ए. के./आई. जी./2004

क) कनिष्क स्टील इंडस्ट्रीज के प्रवर्तकों के रूप में

लिमिटेड और सामूहिक रूप से काम करने वाले व्यक्ति पहले से ही एस. ई. बी. आई. (पर्याप्त अधिग्रहण ओ (एस. आई. सी.) और अधिग्रहण) विनियम, 1997 (उक्त विनियम) के 69.55% शेयर विनियम 10 को धारण कर रहे हैं, (उक्त विनियम) लागू नहीं होंगे। अधिमान्य आवंटन के बाद

80,00,000 शेयर, प्रवर्तकों की हिस्सेदारी और (एस. आई. सी.) (जो कॉन्सर्ट में काम करने वाले व्यक्ति भी होंगे) उक्त कंपनी की पोस्ट पेड कैपिटल के 74.02% तक बढ़ जाएंगे, जो कि 4.47% की वृद्धि है जो उक्त विनियमों के विनियम 11 (1) के तहत निर्दिष्ट क्रिप (एस. आई. सी.) से कम है। अतः उक्त विनियमों का विनियम 11 (1) भी नहीं होगा।

लागू
होगा। "[2022] 18 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3 .

डी. एस. आर./ए. ओ.-19/2008 अधिग्रहणकर्ता की परिभाषा में जैसा कि एस. ए. एस. टी. के तहत प्रदान किया गया है, जमनालाल संस का मामला स्पष्ट है कि अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों का अधिग्रहण।
प्राइवेट लिमिटेड जिसमें अधिग्रहणकर्ता द्वारा अन्य के साथ अधिग्रहण का अर्थ है।

सामूहिक रूप से कार्य करने वाले अधिकारियों का न्यायनिर्णयन करना। तत्काल मामले में, जैसे कि

गिराया अधिग्रहणकर्ता स्वीकार्य रूप से प्रवर्तक समूह से संबंधित है,

था।

इसलिए, के उद्दीपन का निर्धारण करने के लिए

कार्यवाही

SAST के प्रावधान, द्वारा किया गया अधिग्रहण

नियमों का उल्लंघन

10 अन्य बातों के साथ रिकॉर्डिंग के रूप में

पूरे प्रवर्तक समूह को शामिल किया जाना चाहिए। विचार करें। मैं यह भी ध्यान देता हूँ कि प्रवर्तक समूह का

इसके अंतर्गतः

कुल हिस्सेदारी केवल 4.45% से बढ़ी ( अर्थात राइट्स इश्यू के बाद 40.56% से 45.01%)। प्रवर्तक समूह की हिस्सेदारी में यह वृद्धि है

रेंगने वाली अधिग्रहण सीमा के भीतर ( अर्थात 5 प्रतिशत) के रूप में

के अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया है एसएएसटी का विनियम 11 (1)। इसलिए, अधिग्रहणकर्ता द्वारा छूट का दावा करने का प्रश्न

एस. ए. एस. टी. के विनियम 11 (1) की प्रयोज्यता उत्पन्न नहीं होती है। नतीजतन, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अधिग्रहणकर्ता द्वारा रिपोर्ट दाखिल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस प्रकार, यह आरोप कि अधिग्रहणकर्ता ने 900 दिनों की देरी से

रिपोर्ट दायर की थी, असमर्थनीय है और अधिग्रहणकर्ता के खिलाफ आरोप है यह स्थापित नहीं है "।

हिम्मत एस. सोनेवाल (एचयूएफ) के मामले में न्यायनिर्णायक अधिकारी आदेश के माध्यम से

4 .

दिनांकित 4.2.2002 ने अभिनिर्धारित किया था कि उक्त अधिग्रहणकर्ता उल्लंघन का दोषी नहीं था

अधिग्रहणकर्ता के रूप में विनियमन 10 पहले से ही सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति के साथ था

निर्धारित प्रतिशत से अधिक शेयर/मतदान अधिकार रखने का लक्ष्य

कंपनी।

51. इस प्रकार, बोर्ड के साथ-साथ न्यायनिर्णायक अधिकारी ने भी

इसमें एक 'सामूहिक रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति' शामिल है और यह तय करने के लिए कि क्या विनियमन 10 का उल्लंघन किया गया था, संयुक्त हिस्सेदारी पर विचार किया गया था। जहां 'अधिग्रहणकर्ता' के पास पहले से ही निर्धारित सीमा से अधिक शेयर या मतदान अधिकार थे, उन्हें विनियमन 10 2 8 का उल्लंघन करने का दोषी नहीं ठहराया गया था। 28 धारा 15-I की उप-धारा (3) के तहत, बोर्ड के पास किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड को बुलाने और जांचने की शक्ति है यदि वह यह मानता है कि न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश

इस हद तक गलत है कि यह प्रतिभूति बाजार के हित में नहीं है और जांच कराने या करने के बाद जुर्माने की मात्रा बढ़ाने का आदेश पारित करता है यदि मामले की परिस्थितियां उचित हैं। दूसरे परंतुक में कहा गया है कि उप-धारा (3) के तहत एक आदेश भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को बदल सकता है।

सुनील कृष्ण खेतान और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

52. नियामक के लिए सुसंगत होना महत्वपूर्ण है और

अनुमानित। आगे के नियम स्पष्ट होने चाहिए क्योंकि अस्पष्ट नियम भ्रम और अनिश्चितता का कारण बनते हैं। नियमितता और पूर्वानुमेयता, निश्चितता के साथ, अच्छे विनियमन और शासन की पहचान हैं। ये सिद्धांत 'कानून के शासन' को रेखांकित करते हैं, मनमानेपन की जांच करते हैं और इन्हें इस रूप में पढ़ा जाता है

विधान का आशय, जिसे न्यायालय, यदि आवश्यक हो, व्याख्या के सिद्धांत के रूप में लागू करेंगे। बोर्ड को विधायी, कार्यकारी, जांच और न्यायिक कार्यों को पूर्ववत करने का काम सौंपा गया है। एक नियामक जब वैधानिक कार्यों को निष्पादित करता है तो वह अधिनियम की व्याख्या करता है और अर्थ देता है। और, उस अर्थ में, जो माना जाता है वह नियम है। एक विधायक के रूप में जो पहली बार में निर्माण करता है और कहता है कि नियम क्या है, बोर्ड मौन रूप से वादा करता है और उस व्याख्या की भविष्यवाणी करता है जो उन्हें आकर्षित करती है। किसी भी अच्छी नियामक प्रणाली को इस सिद्धांत को बढ़ावा देना और उसका पालन करना चाहिए -

डिप्लॉक ने ठीक ही कहा है, "जब तक लोग यह नहीं जानते कि आचरण का नियम क्या है, वे इसकी पुष्टि करने के लिए अपने कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते।" अन्यथा नियामक "एक नियम निर्माता के रूप में अपने प्राथमिक कार्य में विफल रहता है"। 30 ऐसा नहीं है।

असंगति, विश्लेषण आवश्यकता और कार्यात्मक मूल्य का पता लगाने के लिए है परिवर्तन की, क्योंकि निरंतरता परिचालन प्रभावशीलता की बात है। कभी-कभी परिवर्तन वांछनीय और आवश्यक होते हैं। इन पहलुओं का उल्लेख करते हुए, कुछ मामलों में, भारतीय न्यायालयों ने इस सिद्धांत को लागू किया है

न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश या धारा 15-टी के तहत अपील के निपटारे की तारीख से तीन महीने की अवधि समाप्त होने के बाद बोर्ड द्वारा पारित किया जाएगा, जो भी पहले हो। 29 भारत संघ बनाम। रघुबीर सिंह (1989) 2 एस. सी. सी. 754। यह भी देखें, न्यायिक प्रक्रिया की प्रकृति, बेंजामिन एन. कार्डोजो, पृष्ठ 33: मैं विसंगतियों और अपरिवर्तनीयताओं और कृत्रिमताओं को लागू करके कानूनी संरचना की समरूपता को प्रभावित नहीं करना चाहता।

अपवाद जब तक कि किसी पर्याप्त कारण के लिए नहीं, जो आम तौर पर इतिहास या प्रथा या नीति या न्याय का कुछ विचार होगा। इस तरह के कारण के अभाव में, मुझे तार्किक होना चाहिए जैसे कि मुझे निष्पक्ष और समान आधारों पर होना चाहिए। यह एक ही प्रश्न को वादियों के एक समूह के बीच एक तरह से और दूसरे के बीच विपरीत तरीके से तय करने के लिए काम नहीं करेगा।

30 फ्रैंक्स बेनिओन, बेनिओन ऑन स्टैच्युटरी इंटरप्रिटेशन, पांचवां संस्करण (भारतीय पुनर्मुद्रण), पृष्ठ 801 पर धारा 266।

2 ] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मूल वैध अपेक्षा 3 1 यह देखते हुए कि नीति में परिवर्तन तर्कहीन या विकृत या ऐसा नहीं होना चाहिए जो कोई भी उचित व्यक्ति नहीं कर सकता था। दूसरे शब्दों में, वेड्सबरी के सिद्धांत

तर्कसंगतता लागू होगी। ऐसा सिद्धांत उपजता है, लेकिन प्रक्रियात्मक वैध अपेक्षा के मूलभूत विचार से कुछ अलग है, जो लागू होता है जहां एक कार्य करने के लिए एक विशेष तरीका निर्धारित किया गया है और प्रक्रिया को अपनाने में कोई बाधा नहीं है, बिना किसी उचित सिद्धांत के समान तरीके से कार्य करने के लिए विचलन को मनमाना के रूप में लेबल किया जा सकता है।

53. पंजाब कम्युनिकेशंस लिमिटेड बनाम भारत संघ और

अन्य, 3 3 यह देखा गया है कि एक वैध अपेक्षा उत्पन्न होने के लिए, प्रशासनिक प्राधिकरण के निर्णयों को व्यक्ति को प्रभावित करना चाहिए उसे किसी ऐसे लाभ या लाभ से वंचित करना जिसका उसे अतीत में निर्णय लेने वाले द्वारा आनंद लेने की अनुमति दी गई थी, और जिसे वह वैध रूप से तब तक जारी रखने की अनुमति की उम्मीद कर सकता है जब तक कि उसे नहीं दिया गया है।

इसे वापस लेने के लिए कुछ तर्कसंगत आधार बताए गए हैं और उन्हें टिप्पणी करने का अवसर दिया गया है। इसका यह भी अर्थ है कि निर्णय निर्माता द्वारा दिए गए आश्वासन को वापस नहीं लिया जाएगा, बिना उसे यह तर्क देने का अवसर दिए कि उन्हें वापस नहीं लिया जाना चाहिए। झारखंड राज्य और अन्य बनाम में इस न्यायालय के हाल के फैसले का भी संदर्भ दिया जा सकता है। ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स लिमिटेड, रांची और अन्य 3 4 जिसमें राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम बनाम में पहले के फैसले का संदर्भ दिया गया था। एस. रघुनाथन और अन्य 3 5 दोहराते हैं कि वैध अपेक्षाओं पर आधारित दावों को अभ्यावेदनों पर निर्भरता प्राप्त करने और शिकायतकर्ता को उसी तरह नुकसान पहुंचाने के लिए माना गया है जैसे प्रतिज्ञापत्र के आधार पर दावे किए जाते हैं।

34 ( 2020 ) एससीसी ऑनलाइन एससी 968

35 ( 1998 ) 7 एस. सी. सी. 66 भारत की सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v. सुनील कृष्ण खेतान और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

54. वर्तमान मामले के संदर्भ में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि

बोर्ड अधिग्रहण विनियम 1997 को अधिनियमित करने वाले कानून का मसौदा तैयार करने वाला है और इसलिए, विनियमों की उनकी व्याख्या और समझ महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। वर्तमान मामले के संदर्भ में, बोर्ड ने लेन-देन के लगभग पांच साल बाद, कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया था और फिर विनियमन 10 की व्याख्या पर विचार करते हुए एक आदेश पारित किया था, जो कई संचारों में उसके द्वारा व्यक्त किए गए विचार के विपरीत था और साथ ही न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश भी। अतीत गतिहीन है और वर्तमान में नहीं है, और बिना किसी कारण और आधार के 'पूर्वव्यापी' संचालन देने से, दिशा पूर्वानुमेयता और कानूनी स्थिरता की मौलिक धारणाओं का उल्लंघन करती है। 37

55. हम यह भी महसूस करते हैं कि संदिग्ध दंड का सिद्धांत होगा

वर्तमान मामले में लागू होगा। बहुत पहले 1955 में, तोलाराम में यह अदालत रेलुमल और एक अन्य वी। बॉम्बे राज्य 3 ने माना था कि यह दंडात्मक कानूनों के निर्माण का एक अच्छी तरह से स्थापित नियम है कि यदि दो विचार और

उचित निर्माण एक प्रावधान पर रखा जा सकता है, अदालत को निर्माण के पक्ष में झुकना चाहिए जो दंड लगाने वाले के बजाय दंड से विषय को छूट देता है। 39 बिपिन चंद्र परशोत्तमदास पटेल (वकील) बनाम। गुजरात राज्य और अन्य, 40 इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस सिद्धांत का उल्लेख किया था और निम्नलिखित को उद्धृत किया थाः

मोहम्मद अली खान और अन्य बनाम। धन कर आयुक्त, नई दिल्ली, 1 1 जो पढ़ता हैः

" 6. यह निर्माण का एक प्रमुख सिद्धांत है कि एक के शब्द

क़ानून को पहले उनके प्राकृतिक, सामान्य या लोकप्रिय रूप में समझा जाता है।

दंडात्मक प्रावधान, अदालत को उस निर्माण की ओर झुकना चाहिए जो विषय को दंड से छूट देता है न कि जो दंड लगाता है। विधायिका के इरादे को पूरा करने के लिए विधायिका द्वारा उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति के अर्थ को फैलाना अदालत के लिए सक्षम नहीं है। जैसा कि लंदन में लॉर्ड मैकमिलन और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कंपनी ने बताया है। बेरीमैन [1946 ए. सी. 278,295] "जहाँ उल्लंघन के लिए दंड लगाया जाता है, वहाँ किसी नियम की भाषा को फैलाना वैध नहीं है, हालाँकि, इसकी भाषा के उचित और सामान्य अर्थ से परे, इसके इरादे को लाभकारी बनाता है।" 40 ( 2003 ) 4 एस. सी. सी. 642 41 41 (1997) 3 एससीसी 511 [2022] 18 एस. सी. आर.

अर्थ और वाक्यांशों और वाक्यों को उनके व्याकरणिक अर्थ के अनुसार तब तक समझा जाता है जब तक कि यह कुछ बेतुका न हो या जब तक कि क़ानून के संदर्भ में या उद्देश्य में इसके विपरीत सुझाव देने के लिए कुछ न हो। अक्सर यह माना जाता है कि

विधायिका को मुख्य रूप से उपयोग की गई भाषा से एकत्र किया जाना है, जिसका अर्थ है कि जो कहा गया है और जो नहीं कहा गया है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप एक ऐसी संरचना से बचना चाहिए जिसके लिए शब्दों को जोड़ने या प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है या जिसके परिणामस्वरूप शब्दों को अर्थहीन के रूप में अस्वीकार कर दिया जाता है। स्पष्ट रूप से निर्माण का उपरोक्त नियम अपवादों के अधीन है। जिस तरह शब्दों को जोड़ने या किसी अंतराल या कमी को भरने की अनुमति नहीं है, उसी तरह यह प्रयास सार्वभौमिक अनुप्रयोग का है।

द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक शब्द को अर्थ दिया जाना चाहिए

विधायिका "।

इसके बाद फ्रांसिस बेनिओन की सांविधिक व्याख्या का संदर्भ दिया गया जिसमें कहा गया है कि संदिग्ध दंड का सिद्धांत, अक्सर आपराधिक कानूनों तक सीमित, वास्तव में, किसी भी प्रकार के नुकसान तक फैलता है। न्यायविद ने राय दी है कि यह कानूनी नीति का एक सिद्धांत है कि एक व्यक्ति

स्पष्ट कानून के तहत दंड नहीं दिया जाना चाहिए। तत्काल मामले के तथ्यों के संबंध में विचार करते समय, जिसमें अधिनियम के विरोधी निर्माण संभव हैं, हमें यह मान लेना चाहिए कि विधायिका इस सिद्धांत का पालन करने का इरादा रखती है। इसलिए अदालतें ऐसे निर्माण को अपनाने से बचने की कोशिश करती हैं जो उस व्यक्ति को दंडित करता है जहां विधायिका का ऐसा करने का इरादा संदिग्ध है।

56. हम बेनिओन ऑन स्टैच्युटरी इंटरप्रिटेशन, 5 वें संस्करण, इंडियन रिप्रिंट की धारा 278 को उद्धृत करेंगे, जो इस प्रकार हैः

" धारा 278। आर्थिक हितों में सांविधिक हस्तक्षेप

संदिग्ध दंड के खिलाफ सिद्धांत का एक पहलू यह है कि राज्य शक्ति के प्रयोग से किसी व्यक्ति की संपत्ति या अन्य आर्थिक हितों को छीन, बिगड़ा या खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए।

कानून के स्पष्ट अधिकार के तहत को छोड़कर।

संपत्ति या अन्य आर्थिक हित को एंटिक v में मान्यता दी गई है और समझाया गया है। ब्रैट सी. जे. द्वारा निम्नलिखित शब्दों में कैरिंगटन 42: 42 ( 1765 ) 19 1060 पर राज्य टी. आर. 1029।

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v. सुनील कृष्ण खेतान और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

" जिस महान उद्देश्य के लिए लोग समाज में प्रवेश करते थे, वह था अपनी संपत्ति की सुरक्षा करना। यह अधिकार उन सभी उदाहरणों में पवित्र और असंबद्ध है जहां इसे किसी सार्वजनिक कानून द्वारा संक्षिप्त नहीं किया गया है।

सभी की भलाई के लिए "।

57. लाभकारी या उपचारात्मक कानूनों की व्याख्या करते समय संदिग्ध दंड के सिद्धांत का सीमित मूल्य होता है जहां न्यायनिर्णायक कर सकता है।

एक उदार और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को अपनाएँ। 43 इस सिद्धांत को तब नजरअंदाज किया जा सकता है जब अन्य व्याख्यात्मक कारक, जैसे सार्वजनिक कानून का हित और समाज की भलाई, सिद्धांत के अनुप्रयोग के खिलाफ तराजू को झुकाने के लिए भारी वजन करते हैं। 44 व्याख्या का नियम और व्याख्या के नियम को लागू करने वाले अदालती निर्णय व्याख्या में बहुलवाद को मान्यता देते हैं। 45 विचाराधीन अधिनियम/प्रावधान के कानूनी अर्थ में अक्सर अलग-अलग सिद्धांतों, नियमों, तोपों और अनुमानों के अनुप्रयोग शामिल होते हैं, जिन्हें परस्पर विरोधी व्याख्यात्मक मानदंडों और कारकों को तौलकर और संतुलित करके हल किया जाता है। 46 स्पष्ट रूप से, एक स्ट्रेटजैकेट दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए

संदर्भ, विषय वस्तु और प्रावधान के उद्देश्य के संदर्भ के बिना। केवल तभी न्यायालय व्याख्या कर सकता है और वह अर्थ दे सकता है जिसे विधायिका प्राप्त करना और व्यक्त करना चाहती थी।

58. हम पहले ही, वैध अपेक्षा के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए, उन अपवादों का उल्लेख कर चुके हैं जब न्यायालय लागू नहीं हो सकता है।

उक्त सिद्धांत।

59. बोर्ड ने स्वीडिश मैच (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है जिसमें न्यायमूर्ति श्री एस. बी. सिन्हा, जो हैं

43 फ्रैंक्सबेनियन, बेनिओन ऑन स्टैच्युटरी इंटरप्रिटेशन, पांचवां संस्करण (भारतीय पुनर्मुद्रण), पृष्ठ 827 पर धारा 271।

44 महामहिम द क्वीन एक्स रिले को देखें। लिंडा मर्क बनाम। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्रिज, स्ट्रक्चरल, ऑर्नामेंटल एंड रिइन्फोर्सिंग आयरन वर्कर्स, लोकल 771,2005 एससीसी 70; आर. वी. हैसलवेंडर, [1993] 2 एस. सी. आर. 398; आर. वी. गौलिस (1981), 125 डी. एल. आर. (3 डी) 137; सुलिवन, रूथ। सुलिवन एंड ड्राइजर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैचूट्स, चौथा संस्करण। मार्खम,

ओनट। : बटरवर्थ्स, 2002 पृष्ठ 387 परः " [सख्त निर्माण के] नियम को संघीय और प्रांतीय व्याख्या अधिनियमों के साथ मिलान करना मुश्किल है जो प्रदान करते हैं कि सभी कानूनों को उपचारात्मक माना जाना चाहिए और एक उदार और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या दी जानी चाहिए। सबसे स्पष्ट संभव भाषा में, इस वैधानिक निर्देश के लिए दंडात्मक कानून में संदेह और अस्पष्टताओं को इस तरह से हल करने की आवश्यकता है जो अभियुक्त व्यक्तियों पर प्रभाव की परवाह किए बिना कानून के उद्देश्य को बढ़ावा देता है। ; कोट, पियरे आंद्रे। कनाडा में विधान की व्याख्या, तीसरा संस्करण। स्कारबोरो, ओंटारियो। : कार्सवेल, 2000 पृष्ठ 477

पर; ग्राहम, रैंडल एन. सांविधिक व्याख्याः सिद्धांत और अभ्यास। टोरंटोः एमोंड मोंटगोमेरी, 2001. पीपी पर। 210-15 .

45 फ्रैंक्सबेनियन, बेनिओन ऑन स्टैच्युटरी इंटरप्रिटेशन, पांचवां संस्करण (भारतीय पुनर्मुद्रण)। 46 आइबीआइडी।

बिपिनचंद्र (ऊपर) में निर्णय के लेखक ने भी आवेदन नहीं किया था

अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियम 11 के संदर्भ में संदिग्ध दंड का सिद्धांत। स्वीडिश मैच (ऊपर) में माननीय न्यायाधीश ने समझाया है कि उक्त मामले में वैधानिक रूप से पालन करने के लिए बाध्य व्यक्तियों की ओर से स्पष्ट उल्लंघन और विफलता थी

अनिवार्य वैधानिक प्रावधान। इस निर्णय के संदर्भ में, बोर्ड ने पैराग्राफ 7747 में एक पंक्ति का उल्लेख किया था जो विनियमन को संदर्भित करता है।

10 और कहता है कि वही लागू होगा क्योंकि कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई थी

इसके अनुपालन में किया गया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विनियमन 10 नहीं था

बोर्ड द्वारा स्वीडिश मैच (ऊपर) में लागू किया गया और इसके उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया गया था। स्वीडिश मैच में इस अदालत के समक्ष विषय अपील में

( ऊपर), विनियमन 11 के अधिदेश को पार करने के लिए विनियमन 12 पर निर्भरता रखी गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। पैराग्राफ 77 में एक आवारा वाक्य कि विनियमन 10 लागू होगा, को उक्त निर्णय के अनुपात निर्णय के रूप में और अपीलीय न्यायाधिकरण के 25 जुलाई 2012 के विनियमन 10.48 निर्णय की व्याख्या पर एक निष्कर्ष के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। 47 " 77. प्रश्न का विज्ञापन करने के लिए, स्वीकार किए गए तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता हैः स्वीडिश मैच सिंगापुर ने हारावोन और सीड में बहुमत हिस्सेदारी हासिल करने पर सहमति व्यक्त की

17-12-1997 के बाद जिसके लिए सार्वजनिक प्रस्ताव दिया गया था। हरवोन और सीड वाले एस. एम. एस. में 28.28% और 10.33% थे, जबकि ए. वी. पी. और प्लैश वाले जटिया समूह में क्रमशः 5 प्रतिशत और 15 प्रतिशत थे, जबकि सार्वजनिक/अन्य के पास 41.39% शेयर थे। एक-दूसरे के साथ मिलकर दोनों समूहों ने जनता से शेयर हासिल किए। 25-8-1999 पर या उसके आसपास तरजीही शेयरों का अधिग्रहण करके स्वीडिश मैच ग्रुप ने 52.11% प्राप्त किया और जटिया ग्रुप ने 24.11% प्राप्त किया जिसके परिणामस्वरूप विस्को में जनता/अन्य लोगों द्वारा रखे गए शेयर 23.78% तक गिर गए। स्वीडिश समूह और जटिया समूह दोनों संयुक्त नियंत्रण का प्रयोग कर रहे थे। जतिया समूह द्वारा स्वीडिश मैच सिंगापुर के पक्ष में शेयरों के हस्तांतरण द्वारा संयुक्त नियंत्रण से बाहर निकलने के कारण, स्वीडिश मैच एबी (स्वीडिश मैच समूह का एक हिस्सा) की एक सहायक कंपनी ने 74 प्रतिशत शेयर प्राप्त किए, जबकि हारावोन-46.18%, सीड-5.93% और एस. एम. एस.-21.89%। इस प्रकार, जटिया समूह के शेयरों की सीमा घटकर 2.22% रह गई। जटिया समूह ने अपने शेयर जनता को बेच दिए जिसके परिणामस्वरूप जनता के शेयर 23.78% हो गए। एस. एम. एस. सिंगापुर मैच ग्रुप की सहायक कंपनी है। स्वीडिश मैच एक होल्डिंग कंपनी है जो एस. एम. एस. के 100% शेयरों की मालिक है। इसमें अपीलकर्ताओं द्वारा यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि एस. एम. एस. के पक्ष में जटिया समूह से शेयरों का अधिग्रहण स्वीडिश कंपनी द्वारा एक समूह के रूप में किया गया था न कि एक व्यक्तिगत कंपनी के रूप में। वास्तव में, इसलिए, यह तर्क देना सही नहीं है, हालांकि अपने दिनांकित 28-1-2002 के नोटिस में, SEBI ने इसका संकेत दिया था,

कि SMS ने अपने स्वयं के 21.89% शेयर हासिल कर लिए थे। अगर एस. एम. एस. ने भी ऐसा किया होता तो भी नियम 10 लागू होता क्योंकि इसके लिए कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई थी।

48 प्राकृतिक संसाधन आबंटन, 2012 का विशेष संदर्भ संख्या 1, (2012) 10 एस. सी. सी. 1 देखें।

" 70. प्रत्येक मामले में तथ्यों का एक अलग समूह होता है और एक निर्णय अपने स्वयं के तथ्यों पर एक मिसाल है; निर्णय देते समय एक न्यायाधीश द्वारा कही गई हर बात को पूर्ववर्ती मूल्य नहीं माना जा सकता है। एक निर्णय का सार जो मामले में पक्षों को बांधता है, वह भारत के सुरक्षा और विनिमय बोर्ड पर सिद्धांत है।

सुनील कृष्ण खेतान और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

हनूमेश रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इनक्यूरियम के अनुसार है क्योंकि इसने स्वीडिश मैच (उपरोक्त) में निर्णय का उल्लेख किया है, जो निर्णय विनियमन 11 (1) से संबंधित है और इसकी व्याख्या करता है। वर्तमान तर्क में, हम विनियमन 11 (1) पर नहीं बल्कि अधिग्रहण विनियम, 1997 के विनियम 10 पर विचार और व्याख्या कर रहे हैं।

60. बोर्ड की दलील है कि कानून के खिलाफ कोई रोक नहीं है

अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियम 10, जैसा कि बोर्ड द्वारा दस वर्षों से अधिक समय से व्याख्या और लागू किया गया है, को बोर्ड द्वारा पलटने की मांग की गई है, जिससे दंडात्मक परिणाम पैदा होते हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और जब हम सुशासन और विनियमन के सिद्धांत को लागू करते हैं तो यह शायद ही स्वीकार्य हो। 61. बोर्ड का यह तर्क कि अधिग्रहण विनियम 2011 पूर्वव्यापी हैं, केवल नोट किया जाना चाहिए और खारिज किया जाना चाहिए। मधुर एस. पिट्टी (2013 की अपील संख्या 2) के मामले में अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित विवादित आदेश में विशेष रूप से दर्ज किया गया है कि बोर्ड ने स्वीकार किया था कि

अधिग्रहण विनियम 2011 का कोई पूर्वव्यापी अनुप्रयोग नहीं है। 50

जिस मामले का फैसला किया जाता है और इस कारण से, निर्णय का विश्लेषण करना और उससे अनुपात का निर्धारण करना महत्वपूर्ण है। 73. एक निर्णय को समग्र रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ना भी महत्वपूर्ण है कि यह सार्वभौमिक प्रयोज्यता के साथ एक अमूर्त शैक्षणिक प्रवचन नहीं है, बल्कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर बहुत अधिक आधारित है। निर्णय के प्रत्येक भाग को दूसरे भागों से जटिल रूप से जोड़ा जाता है जो एक बड़े पूरे का गठन करते हैं और इसलिए, तार्किक धागे को अक्षुण्ण रखते हुए पढ़ा जाना चाहिए।

49 प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई के समक्ष, 2012 की अपील संख्या 66, निर्णय की तिथिः 25.07.2012 .

50 " 27. हम प्रतिवादी से इस हद तक सहमत हैं कि एस. ई. बी. आई. अधिनियम निश्चित रूप से एक सामाजिक कल्याण कानून है। लेकिन यह इस निर्विवाद तथ्य से दूर नहीं है कि एसएएसटी विनियम, 2011 के विनियम 3 (3) में यह प्रावधान पेश किया गया है कि किसी व्यक्ति की हिस्सेदारी निर्धारित सीमा को पार करने के मामले में भी, जो कि [2022] 18 एस. सी. आर. है।

यह तर्क कि अधिग्रहण विनियम 2011 स्पष्टीकरणात्मक हैं और,

इसलिए, पूर्वव्यापी प्रत्यक्ष रूप से गलत और असमर्थनीय है। अधिग्रहण विनियम 2011 का विनियम 3 (3) विशेष रूप से निम्नानुसार अभिनिर्धारित करता हैः

" 3. शेयरधारकों या मतदान अधिकारों का पर्याप्त अधिग्रहण।

XX

XX

XX

( 3 ) उप-विनियम (1) और उप-विनियम (2) के प्रयोजनों के लिए,

किसी भी व्यक्ति द्वारा शेयरों का अधिग्रहण, जैसे कि व्यक्ति

शेयर प्राप्त करने वाले ऐसे व्यक्ति की हिस्सेदारी इससे अधिक है -

निर्धारित सीमाएँ, बनाने का दायित्व भी आकर्षित करेंगी लक्ष्य के शेयरों को प्राप्त करने के लिए एक खुला प्रस्ताव

कंपनी इस बात पर ध्यान दिए बिना कि क्या कुल में कोई परिवर्तन हुआ है

संगीत समारोह में अभिनय करने वाले व्यक्तियों के साथ हिस्सेदारी "। 62. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, अधिग्रहण के प्रवर्तन पर

विनियम 2011, यह स्पष्ट है कि विनियम 10 15 प्रतिशत की सीमा को पार करने वाले अधिग्रहणकर्ता पर लागू होगा, जिसे अधिग्रहण विनियम 2011 के तहत बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, विनियमन 10 तब भी लागू होगा जब कोई व्यक्तिगत अधिग्रहणकर्ता या अधिग्रहणकर्ता दूसरों के साथ मिलकर सीमा स्तर से परे शेयर या मतदान अधिकार प्राप्त करता है और ऐसे अधिग्रहणकर्ता को लागू विनियमन का पालन करना होगा। अधिग्रहण विनियम 1997 और अधिग्रहण विनियम 2011, इसलिए, अलग-अलग पूर्व शर्तों और सीमाओं को स्वीकार करते हैं। अधिग्रहण नियामक सलाहकार समिति की रिपोर्ट पर रखी गई निर्भरता से पता चलेगा कि विनियमन 10 पर पुनर्विचार और पुनः जांच की गई थी, जिसके अनुसार विनियमन 3 (3) को अधिनियमित किया गया था और अधिग्रहण विनियम 2011 के तहत नियामक तंत्र का हिस्सा बनाया गया था।

63. यह व्याख्या के कानून का एक सामान्य नियम है कि जब तक कि स्पष्ट रूप से

उल्लिखित, किसी कानून को पूर्वव्यापी नहीं माना जा सकता है। आयकर आयुक्त, (केंद्रीय)-I, नई दिल्ली बनाम। वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, 5 1 एक संविधान पीठ का निर्णय, यह अदालत

यह देखा गया किः

अब 25 प्रतिशत, सार्वजनिक प्रस्ताव देने की आवश्यकता उत्पन्न होगी। प्रतिवादी ने पूरी निष्पक्षता से सहमति व्यक्त की है कि 2011 की नई अधिग्रहण संहिता पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होती है।

हम देख सकते हैं कि एस. ई. बी. आई. अधिनियम एक सामाजिक कल्याण कानून नहीं है, बल्कि एक पर्यावरण-कानूनी कानून है और इसलिए, निवेशकों/शेयरधारकों की वाणिज्यिक प्रथाओं, हितों को ध्यान में रखते हुए और कंपनी के नियंत्रण वाले व्यक्तियों की कठिनाइयों को नजरअंदाज किए बिना व्यावहारिक रूप से व्याख्या की जानी चाहिए। प्रतिस्पर्धी हितों, अधिकारों और दायित्वों को संतुलित करना होगा।

51 ( 2015 ) 1 एससीसी 1.

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v. सुनील कृष्ण खेतान और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

पूर्वव्यापी संचालन। इस नियम के पीछे का विचार यह है कि एक वर्तमान कानून को वर्तमान गतिविधियों को नियंत्रित करना चाहिए। आज पारित कानून नहीं हो सकता अतीत की घटनाओं पर लागू करें। अगर हम आज कुछ करते हैं, तो हम उसे कल के नहीं, बल्कि आज और लागू कानून को ध्यान में रखते हुए करते हैं।

इसका पश्च समायोजन।

32. पूर्वव्यापीता के खिलाफ सिद्धांत का स्पष्ट आधार है

निष्पक्षता का सिद्धांत, जो प्रत्येक कानूनी नियम का आधार होना चाहिए

जैसा कि L 'OfficeCherifien में रिपोर्ट किए गए निर्णय में देखा गया था

डेस फॉस्फेट v. यामाशिता-शिन्निहोन स्टीमशिप Co.Ltd। इस प्रकार,

ऐसे विधान जो अर्जित अधिकारों को संशोधित करते हैं या जो लागू करते हैं

दायित्व या नए कर्तव्यों को लागू करना या एक नई विकलांगता संलग्न करना है

संभावित के रूप में माना जाएगा जब तक कि विधायी इरादा स्पष्ट रूप से अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव देने के लिए न हो; जब तक कि कानून पूर्व में एक स्पष्ट चूक प्रदान करने के उद्देश्य से न हो।

कानून बनाना या किसी पूर्व कानून की व्याख्या करना।

इसके अलावा, व्यक्त वैधानिक प्राधिकरण के अभाव में, नियमों या विनियमों के रूप में प्रत्यायोजित कानून काम नहीं कर सकते हैं। पीछे की ओर। 52 52 निश्चित रूप से अधिग्रहण विनियम 2011 में विनियम 3 (3) ने 1997 की कमी को स्पष्ट किया और संभवतः हटा दिया।

नियम। हालाँकि, जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, विनियम 3 (3) की भाषा स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरणात्मक या घोषणात्मक प्रकृति की नहीं है। 53

ई. विनियम 11 और विनियम 44 के तहत जुर्माना और

45 अधिग्रहण विनियम 1997: 54

52 सहायक उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोट्टायम और अन्य। v.Esthappan चेरियन और दूसरा, (2021) 10 SCC 210। यह भी देखें, आयकर अधिकारी, अलेप्पी बनाम एम. सी. पोन्नोस और

ऑनलाइन एससी 705, आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-I, नई दिल्ली बनाम। वाटिका टाउनशिप (पी) लिमिटेड, (2015) 1 एस. सी. सी. 1 और भारत संघ और एक अन्य बनाम। इंडसइंड बैंक लिमिटेड और अन्य, (2016) 9 एस. सी. सी. 720। 54 2014 की सिविल अपील संख्या 1762 (माधुरी एस. पिट्टी का मामला) में, अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के अनुसार, विनियमन 11 (1) के उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया गया था और इसे 17 दिसंबर 2012 के पत्र का आधार बनाया गया था।

2 ] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

64. 2013 की अपील संख्या 23 (सुनील कृष्ण खेतान मामला) में विवादित आदेश उत्तरदाताओं द्वारा की गई अपील को खारिज करता है और

इस प्रकार प्रत्यर्थियों को अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियम 11 (1) के उल्लंघन का दोषी ठहराने वाले आदेश की पुष्टि होती है। प्रत्यर्थियों ने अपीलीय न्यायाधिकरण के उक्त निष्कर्ष को चुनौती देते हुए अपील या परस्पर आपत्तियां दायर नहीं की हैं। इसलिए, हमें अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियम 11 (1) के उल्लंघन पर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है और न ही करेंगे। हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि प्रतिवादी दोषी हैं और अधिग्रहण विनियम 1997 के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर सार्वजनिक घोषणा करने में विफल रहे हैं। 65. जैसा कि ऊपर देखा गया है, बोर्ड का तर्क है कि अपीलीय न्यायाधिकरण को द्वारा दिए गए निर्देश को संशोधित नहीं करना चाहिए था

पूर्णकालिक सदस्य जो रुपये के मौद्रिक दंड के साथ सार्वजनिक घोषणा को बाध्य करता है। 25,00,000 / - .

66. अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियम 44 और 45 पढ़ें

इस प्रकारः

" 44. बोर्ड द्वारा निर्देश।

अध्याय वी. आई. ए. के तहत कार्रवाई शुरू करने के अपने अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना

और अधिनियम की धारा 24, बोर्ड, प्रतिभूति बाजार के हित में या निवेशकों के हित की सुरक्षा के लिए, ऐसा जारी कर सकता है

इसकी संपूर्णता या छोटे लॉट में या बिक्री के लिए प्रस्ताव के माध्यम से; ( ख) निवेशकों को किसी भी आय या प्रतिभूतियों के हस्तांतरण का निर्देश देना।

मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संरक्षण निधि; ( ग) लक्षित कंपनी या डिपॉजिटरी को शेयरों को रद्द करने का निर्देश देना।

जहाँ किसी आवंटन के अनुसार शेयरों का अधिग्रहण उल्लंघन में है।

विनियम 10,11 या 12 का;

( घ) लक्षित कंपनी या डिपॉजिटरी को ऐसे किसी भी शेयर के हस्तांतरण को प्रभावी नहीं बनाने या आगे रोक लगाने का निर्देश देना और अधिग्रहणकर्ता या किसी नामित व्यक्ति या किसी प्रॉक्सी को अनुमति नहीं देना।

ऐसे किसी भी मतदान या उससे जुड़े अन्य अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिग्रहणकर्ता

विनियमन 10,11 या 12 का उल्लंघन करते हुए अर्जित शेयर; भारत का क्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड v.

सुनील इशना खेतान और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

( ई) किसी भी संबंधित व्यक्ति को पूंजी बाजार तक पहुँचने या प्रतिभूतियों में लेनदेन करने से ऐसी अवधि के लिए प्रतिबंधित करना जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाए; ( च) संबंधित व्यक्ति को सार्वजनिक प्रस्ताव देने का निर्देश देना

लक्ष्य कंपनी के शेयरधारकों को बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रस्ताव मूल्य पर इतनी संख्या में शेयरों का अधिग्रहण करना;

( छ) ऐसे शेयरों के विनिवेश का निर्देश देना जो शेयरधारिता या मतदान के लिए निर्दिष्ट अधिकारों के प्रतिशत से अधिक हैं।

विनियम 6,7 या 8 के तहत प्रकटीकरण आवश्यकता;

( ज) संबंधित व्यक्ति को पत्र में दिए गए वचन के विपरीत लक्षित कंपनी की संपत्तियों का निपटान नहीं करने का निर्देश देना।

प्रस्ताव;

( i) संबंधित व्यक्ति को निर्देश देना, जो सार्वजनिक प्रस्ताव देने में विफल रहा है या इन संदर्भों में सार्वजनिक प्रस्ताव देने में देरी कर रहा है।

विनियमन, उन शेयरधारकों को भुगतान करने के लिए, जिनके शेयरों को देरी के बाद किए गए सार्वजनिक प्रस्ताव में स्वीकार कर लिया गया है, सावधि जमा पर बैंकों द्वारा देय ब्याज की लागू दर से कम दर पर ब्याज के साथ विचार राशि। 45. अनुपालन न करने पर दंड।

( 2 ) यदि अधिग्रहणकर्ता या उसके साथ मिलकर काम करने वाला कोई व्यक्ति विनियमों के तहत दायित्वों का पालन करने में विफल रहता है, तो एस्क्रो खाते में राशि का पूरा या एक हिस्सा जब्त होने के लिए उत्तरदायी होगा और अधिग्रहणकर्ता या ऐसा व्यक्ति भी विनियमों और अधिनियम के संदर्भ में कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। ( 3 ) लक्षित कंपनी का निदेशक मंडल वहन करने में विफल रहा

विनियमों के तहत दायित्व विनियमों और अधिनियम के संदर्भ में कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

( 4 ) बोर्ड, एक मध्यस्थ द्वारा विनियमों की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफलता के लिए, एक मध्यस्थ के निलंबन या पंजीकरण को रद्द करने के लिए कार्रवाई शुरू कर सकता है।

अधिनियम की धारा 12 के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्रः बशर्ते कि पंजीकरण का ऐसा कोई भी प्रमाणपत्र तब तक निलंबित या रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि विनियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया न हो।

ऐसे मध्यस्थ के लिए लागू अनुपालन किया जाता है।

( 5 ) शेयरधारकों को किसी भी गलत विवरण के लिए या शेयरधारकों को प्रकट करने के लिए आवश्यक सामग्री जानकारी को छिपाने के लिए,

अधिग्रहणकर्ता या निदेशक जहाँ अधिग्रहणकर्ता एक निकाय है

निगमित, लक्षित कंपनी के निदेशक, सार्वजनिक प्रस्ताव के लिए व्यापारी बैंकर और स्वतंत्र सलाह के लिए लक्षित कंपनी द्वारा नियुक्त व्यापारी बैंकर इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

विनियमों और अधिनियम के संदर्भ में कार्रवाई।

( 6 ) उप-विनियम (1) से (5) में निर्दिष्ट दंड

इसमें शामिल हैं: ( क) अधिनियम की धारा 24 के तहत आपराधिक अभियोजन;

( ख) अधिनियम की धारा 15 एच के तहत मौद्रिक दंड;

( ग) अधिनियम की धारा 11 ख के प्रावधानों के तहत निर्देश;

( (घ) अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन निर्देश; ( ई) की धारा 11 डी के तहत कार्यवाही में आदेश को रोकें और रोकें।

अधिनियम;

( च) अधिनियम की धारा 15 एचबी के तहत निर्णय कार्यवाही।

67. यहाँ धारा 15-एच को पुनः प्रस्तुत करना भी प्रासंगिक हो सकता है और जो अधिनियम के अध्याय-वी. आई. ए. का हिस्सा है, जो इस प्रकार है: 55

और टेक-ओवर यदि कोई व्यक्ति, जिसकी इस अधिनियम या किसी नियम के तहत आवश्यकता है या

इसके तहत बनाए गए विनियम विफल रहते हैं,

( i) निगमित निकाय में अपनी कुल हिस्सेदारी का खुलासा करें।

इससे पहले कि वह उस निगमित निकाय के किसी भी शेयर का अधिग्रहण करे; या

( (ii) कम से कम शेयर प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक घोषणा करें।

कीमत;

( iii) प्रस्ताव पत्र भेजकर सार्वजनिक प्रस्ताव दें।

संबंधित कंपनी के शेयरधारक; या

( (iv) बेचने वाले शेयरधारकों को प्रतिफल का भुगतान करें। प्रस्ताव पत्र के अनुसार उनके शेयर,

वह बीस-पाँच करोड़ रुपये या तीन रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा। इस तरह की विफलता से अर्जित लाभ की राशि, जो भी अधिक हो।

इस मामले के लिए प्रासंगिक समय अवधि के दौरान अस्तित्व में नहीं था।

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v. सुनील कृष्ण खेतान और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

151. निर्णय लेने की शक्ति

( 1 ) धारा 15 ए, 15 बी, 15 सी के तहत निर्णय लेने के उद्देश्य से,

15 डी, 15 ई, 15 एफ, 15 जी, 15 एच, 15 एचए और 15 एचबी, बोर्ड नियुक्त करेगा।

इसका कोई भी अधिकारी जो प्रभाग प्रमुख के पद से कम न हो

निर्धारित तरीके से जांच करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी

किसी भी संबंधित व्यक्ति को उचित अवसर देने के बाद

किसी भी दंड को लागू करने के उद्देश्य से सुना जाना। ( 2 ) जाँच करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी के पास होगा

किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को बुलाने और लागू करने की शक्ति

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना

न्यायनिर्णायक अधिकारी, विषय के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो सकता है जाँच का विषय और यदि ऐसी जाँच पर वह संतुष्ट है कि

व्यक्ति किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफल रहा है

उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट धाराओं में, वह ऐसा जुर्माना लगा सकता है। जैसा कि वह उनमें से किसी के प्रावधानों के अनुसार उचित समझता है

अनुभाग "।

68. विनियम 44 में कहा गया है कि बोर्ड, उनके प्रति पूर्वाग्रह के बिना

अधिनियम के अध्याय VI-A5 और धारा 2457 के तहत कार्रवाई शुरू करने का अधिकार, प्रतिभूति बाजार के हित में या निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए, ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जो वह उचित समझे। इसके बाद, यह 'सम्मिलित' शब्द का उपयोग करते हुए खंड (ए) से (आई) में कुछ निर्देशों को निर्दिष्ट करता है, जिसका तात्पर्य है कि बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्देशों में खंड (ए) से (आई) में दिए गए निर्देश शामिल हो सकते हैं, हालांकि बोर्ड खंड (ए) से (आई) में बताए गए निर्देशों से परे भी निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार, निर्देश देने की बोर्ड की शक्ति व्यापक है। यह अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों, अर्थात् धारा 11 और 11 बी और धारा 11 (2) (एच) से भी स्पष्ट है, जिसमें कहा गया हैः

" 11. बोर्ड के कार्य। - ( 1 ) इसके प्रावधानों के अधीन

अधिनियम, के हितों की रक्षा करना बोर्ड का कर्तव्य होगा

प्रतिभूतियों में निवेशक और विकास को बढ़ावा देना, और प्रतिभूति बाजार को ऐसे उपायों द्वारा विनियमित करता है जो वह उचित समझता है।

XX

XX

XX

11 - बी. निर्देश जारी करने की शक्ति। - अन्यथा दिए गए रूप में सहेजें

धारा 11, यदि जांच करने या करने के बाद, बोर्ड संतुष्ट है कि यह आवश्यक है -

56 अध्याय VI-A: " दंड और निर्णय "(धारा 15 ए से 15 जेए) 57 धारा 24:"

"[2022] 18 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

( i) निवेशकों के हित में, या प्रतिभूतियों का व्यवस्थित विकास

बाजार; या

( (ii) किसी भी मध्यस्थ या अन्य व्यक्तियों के मामलों को रोकना।

धारा 12 में निर्दिष्ट किया गया कार्य हानिकारक तरीके से किया जा रहा है।

प्रतिभूति बाजार के निवेशकों के हित में; या

( (ग) ऐसे किसी भी मध्यस्थ का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना।

या व्यक्ति, यह ऐसे निर्देश जारी कर सकता है -

( क) धारा 12 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए,

( ख) धारा 11-क में विनिर्दिष्ट मामले के संबंध में किसी भी कंपनी के लिए, जिसमें निवेशकों के हित में उचित हो।
प्रतिभूतियाँ और प्रतिभूति बाजार।

11 ( 2 ) पूर्वगामी प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,

उसमें निर्दिष्ट उपायों के लिए निम्नलिखित प्रावधान हो सकते हैं:

( ज) शेयरों के पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण को विनियमित करना।

कंपनियाँ; "

69. विनियम 44 में 'मई' शब्द का उपयोग और धारा 11 (1), 11 बी और 11 (2) (एच) के शब्दों से पता चलता है कि बोर्ड को विवेकाधिकार प्रदान किया गया है, जिसका अर्थ यह भी है और इसकी व्याख्या एक कर्तव्य को लागू करने के रूप में की जानी चाहिए, एक ऐसा पहलू जिसे हम बाद के पैराग्राफ में स्पष्ट करेंगे। वर्षों से 'मई' शब्द का उपयोग आम तौर पर अनुमेय के रूप में किया जाता है और अनिवार्य नहीं है। शब्द 'हो सकता है' या 'होगा' अपनी बहुत ही व्युत्पत्ति संबंधी नींव से विवेक और अनिवार्य प्रकृति को दर्शाते हैं

क्रमशः एक अधिनियम। इसलिए इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालयों को आसानी से 'मे' शब्द की व्याख्या 'विल' के रूप में नहीं करनी चाहिए, जब तक कि इस तरह की व्याख्या बेतुकी, असुविधाजनक परिणामों से बचने के लिए आवश्यक न हो।

विधायिका के इरादे से अधिदेशित जो क़ानून के अन्य हिस्सों से एकत्र किया जाता है। 58 70. विनियमन 44 में 'मे' शब्द का उपयोग महत्वपूर्ण है और 'विल' का नहीं। यह अनिवार्य नहीं है कि विनियम 10,11 और 12 के प्रत्येक उल्लंघन और उल्लंघन के मामले में, विनियम 44 के तहत निर्देश होगा

58 आधिकारिक परिसमापक v. देखें। धरती धन (पी) लिमिटेड, (1977) 2 एससीसी 166; दिनेश चंद्र पांडे बनाम। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और एक अन्य, (2010) 11 एस. सी. सी. 500; मोहन सिंह और अन्य। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और अन्य, (1997) 9 एस. सी. सी. 132। राजेन्द्र मोहन राणा और अन्य बनाम को भी देखें। प्रेम प्रकाश चौधरी और अन्य, 2011 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 3684।

जारी किया गया। व्याख्या विनियमन 44 के शब्दों और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मजबूत हो जाती है जो बोर्ड को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है।

उचित लगता है। धारा 11 (1) में बोर्ड के कार्यों को व्यापक रूप से परिभाषित करते हुए कहा गया है कि बोर्ड का कर्तव्य है कि वह निवेशकों के हितों की रक्षा करे।

प्रतिभूतियों के विकास को बढ़ावा देना और प्रतिभूति बाजार को ऐसे उपायों द्वारा विनियमित करना जो वह उचित समझता है। धारा 11 बी, जो निर्देश देने के लिए बोर्ड की शक्ति से संबंधित है, में कहा गया है कि बोर्ड, जांच करने या करने के बाद, निर्देश जारी कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि वह

निवेशकों के हित में या प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित विकास के लिए आवश्यक है; किसी भी मध्यस्थ या धारा 12 में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों के मामलों को निवेशकों के हित के लिए हानिकारक तरीके से कार्य करने से रोकने के लिए या ऐसे मध्यस्थ या व्यक्तियों के उचित प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए। धारा 11 (2) (एच) में प्रावधान किया गया है कि बोर्ड पर्याप्त मात्रा को विनियमित करने के लिए उपाय करने का हकदार है।

शेयरों का अधिग्रहण और कंपनियों का अधिग्रहण। विनियम 44 में कहा गया है कि निदेशक मंडल को निर्देश जारी करते समय प्रतिभूति बाजार के हित और निवेशकों के हित के संरक्षक के रूप में इसकी भूमिका को ध्यान में रखना होगा। हम प्रतिभूति बाजार के हित में या निवेशकों के संरक्षण में अभिव्यक्ति के बीच 'या' शब्द को 'और' के रूप में पढ़ेंगे। इसलिए, जब बोर्ड विनियमन 44 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने का निर्णय लेता है और उक्त विनियमन के तहत निर्देश जारी करता है, तो उसे दो पहलुओं को ध्यान में रखना होगा, अर्थात्, (i) प्रतिभूति बाजार का हित; और (ii) निवेशकों के हित का संरक्षण। बोर्ड के विवेकाधिकार का प्रयोग, वास्तव में, ऊपर उल्लिखित दो पहलुओं तक ही सीमित नहीं होगा क्योंकि बोर्ड की शक्तियां और कार्य कहीं अधिक व्यापक हैं क्योंकि उनमें समग्र रूप से प्रतिभूति बाजार का प्रचार, विकास और विनियमन और शेयरों के पर्याप्त अधिग्रहण और कंपनियों के अधिग्रहण को विनियमित करना शामिल है।

71. विवेक एक प्रभावी और महत्वपूर्ण उपकरण है जो

विधायिका कार्यपालिका को प्रभावी और सुशासन, प्रशासन और वर्तमान मामले में प्रतिभूति बाजार के विनियमन के लिए प्रदान करती है और निहित करती है, जिसमें जटिल वाणिज्यिक और आर्थिक पहलू हैं। इसलिए, कानून बोर्ड और अधिकारियों को एक या दूसरे विकल्प को अपनाने का विकल्प प्रदान करता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि बोर्ड या अधिकारियों को अस्पष्ट और काल्पनिक तरीके से निजी या व्यक्तिगत राय के अनुसार कार्य करने के लिए निरंकुश और अनियंत्रित विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। 59 विवेक, जब व्यापक आयाम का हो, और जब यह कर सकता है

59 शार्प वी। वेकफील्ड, [1891 एसी 173]। संत राज और अनरेव को भी देखें। ओ. पी. सिंगला और अन्य, (1985) पैरा 4 पर 2 एस. सी. सी. 349 और एस. जी. जयसिंहनिव। भारत संघ और अन्य, ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1427।

2 ] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिनके नागरिक और दंडात्मक परिणाम होते हैं, उनका उपयोग कानूनी और नियमित तरीके से किया जाना चाहिए। विवेकाधिकार का प्रयोग हमेशा नियमों द्वारा शासित होता है, जिसका अर्थ है कि विवेकाधिकार का प्रयोग विधायिका के रूप में निष्पक्ष और उचित होना चाहिए, जबकि विवेकाधिकार प्रदान करने का कभी यह इरादा नहीं होता है कि अधिकारी सनकी, मनमाने ढंग से कार्य नहीं करेंगे, बल्कि इस नियम पर कि वे केवल तभी कार्य करेंगे जब यह जनहित में आवश्यक प्रतीत होता है। 61 विवेकाधिकार का कानूनी प्रयोग वह है, जिसमें प्राधिकरण तथ्यों की जांच और पता लगाता है, कानून के बारे में जागरूक होता है, और फिर निष्पक्ष और तर्कसंगत रूप से निर्णय लेता है कि क्या हित की बेहतर सेवा करता है। यह तब भी सच है जब कानून मौन होते हैं और केवल एक या दूसरे तरीके से कार्य करने की शक्ति प्रदान की जाती है। विवेक के प्रयोग के समय सामुदायिक मानकों के संदर्भ में एक मानक के रूप में तर्कसंगतता का परीक्षण किया जाता है। इसका मतलब है कि विवेक का प्रयोग उस सीमा के भीतर किया जाना चाहिए जिस तक अपने पद का निर्वहन करने में सक्षम एक ईमानदार व्यक्ति को खुद को सीमित रखना चाहिए। 62 यह कहना भी सही होगा कि नुकसान या दंडात्मक परिणाम जितने अधिक होंगे, सार्वजनिक प्राधिकरण का कर्तव्य और दायित्व उतना ही अधिक होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि विवेक का उपयोग विनियमन या प्रशासन में एक प्रभावी उपकरण के रूप में किया जाए, लेकिन यह भ्रम, अराजकता और अस्थिरता का कारण न बने।

72. विनियम 44 और 45 के संदर्भ में, इसका तात्पर्य है कि

सामान्य कानून और कानून के शासन का संवैधानिक अधिदेश। विवेकाधिकार देने का अंतर्निहित तर्क यह सुनिश्चित करना है कि बोर्ड सार्वजनिक कानून के वैध मूल्यों के अनुरूप विवेकाधिकार का प्रयोग करे, जो इसमें कानूनी निश्चितता और स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता शामिल है जो कानून के शासन के सिद्धांत के केंद्र में हैं। 63 इन्हें अन्य समान रूप से वैध सार्वजनिक कानून मूल्य के साथ संतुलित किया जाना चाहिए, जो अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य है। उक्त लचीलेपन की आवश्यकता दी गई है और असामान्य और व्यावहारिक स्थितियों का सामना करने और किसी विशेष मामले में न्याय करने के लिए आवश्यक है।

60 क्लैरियंट इंटरनेशनल लिमिटेड और एक अन्य बनाम। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, (2004) 8 एस. सी. सी. 524 पैरा 26 पर। 61 बैंगलोर मेडिकल ट्रस्ट बनाम। बी. एस. मुद्दप्पा और अन्य, (1991) 4 एस. सी. सी. 54 पैरा 46 और 48 पर।

62 शार्प वी। वेकफील्ड, [1891 एसी 173]: " तर्क और न्याय के नियमों के अनुसार, निजी राय के अनुसार नहीं; कानून के अनुसार और हास्य के अनुसार नहीं। यह मनमाना, अस्पष्ट और काल्पनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि कानूनी और नियमित होना चाहिए। और इसका प्रयोग उस सीमा के भीतर किया जाना चाहिए, जिसके लिए अपने पद के निर्वहन के लिए सक्षम एक ईमानदार व्यक्ति को खुद को सीमित करना चाहिए। 63 डी स्मिथ की न्यायिक समीक्षा, 7 वां संस्करण, स्वीट एंड मैक्सवेल (दक्षिण एशियाई संस्करण) पृष्ठ 515 पर शीर्षक 9-005 पर।

मामला। 64 नियामक के रूप में बोर्ड द्वारा पारित उपचारात्मक आदेश को अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा उक्त मापदंडों को भी पूरा करना चाहिए।

73. स्पष्ट रूप से, इसलिए, विनियमन 44 धारा 15-एच से अलग है,

जो कुछ हद तक एक सख्त दायित्व प्रावधान है जो तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति खंड (i) से (iv) का पालन करने में विफल रहता है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 15-एच कम और साथ ही अधिक मौद्रिक दंड निर्धारित करती है।

अधिरोपित राशि रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। 10,00,000 / - लेकिन रुपये तक बढ़ सकता है। 25,00,00,000 / - या ऐसी विफलता से अर्जित लाभ की राशि का तीन गुना, जो भी अधिक हो। धारा 15-एच में 'ऐसी विफलता से अर्जित लाभ' चरण इंगित करता है कि दंड की मात्रा लागू करते समय प्राधिकरण को खंड (i) से (iv) में उल्लिखित आवश्यकताओं का पालन करने में विफलता के कारण अधिग्रहणकर्ता द्वारा किए गए लाभ पर विचार करना चाहिए। धारा 15-एच।

74. इस संबंध में धारा 15-I का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। इसमें कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। किसी भी दंड को लागू करना। न्यायनिर्णायक अधिकारी के पास साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को बुलाने और उसकी उपस्थिति को लागू करने की शक्ति है, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में, जांच के विषय के लिए उपयोगी या प्रासंगिक होगा। अंत में, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को संतुष्ट होना चाहिए कि व्यक्ति उप-धारा (1) में निर्दिष्ट धारा के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा है। 65

75. इस संदर्भ में, निर्णय लेने वाले द्वारा पारित आदेशों से संबंधित और उनसे उत्पन्न होने वाले निर्णयों पर बोर्ड द्वारा दी गई निर्भरता

64 सी. हिल्सन, 'न्यायिक समीक्षा, नीतियाँ और विवेक को बढ़ाना' [2002] पी. एल. 111; डी. गैलिगन, 'विवेकाधीन शक्ति के भीतर नीति की प्रकृति और कार्य' [1976] पी. एल. 332।

65 उप-धारा (3) बोर्ड को इस धारा के तहत किसी भी कार्यवाही के अभिलेखों को मंगाने और उनकी जांच करने का अधिकार देती है और यदि वह यह समझता है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश इस हद तक गलत है कि वह प्रतिभूति बाजार के हित में नहीं है, तो वह जांच करने या कराने के बाद जुर्माने की मात्रा बढ़ाने का आदेश पारित कर सकता है। उप-धारा (3) के तहत आदेश न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश या धारा 15-टी के तहत अपील के निपटारे की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर पारित किया जा सकता है, जो भी पहले हो।

2 ] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

76. कानून में उपरोक्त स्थिति विनियमन 45 से मजबूत होती है जिसमें कहा गया है कि विनियमों के प्रावधान का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति विनियमन, यानी अधिग्रहण विनियम 1997 और अधिनियम के संदर्भ में उत्तरदायी होगा। विनियम 45 के उप-विनियम (6) में दंड के संदर्भ में कहा गया है कि इसमें अधिनियम की धारा 15-एच के तहत मौद्रिक दंड शामिल होंगे। इसमें अधिनियम की धारा 11 बी और 11 (4) के प्रावधानों के तहत निर्देश भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, विराम जारी करने की शक्ति है और अधिनियम की धारा 11 डी के तहत कार्यवाही में आदेश से बचें। अधिनियम की धारा 24 के तहत आपराधिक मुकदमा भी शुरू किया जा सकता है। अंत में, अधिनियम की धारा 15-एच के तहत निर्णय लेने की कार्यवाही की जा सकती है।

इसलिए, अधिकारियों को कई कार्यवाहियों का सहारा लेने का अधिकार है जिन्हें शिथिल रूप से वर्गीकृत किया गया है और जिन्हें विनियमन 45 (6) में 'दंड' के रूप में संदर्भित किया गया है। हालाँकि, कहीं भी, विनियमन 45 में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियम 10,11 या 12 के उल्लंघन के मामले में, बोर्ड को विनियमन 44 के संदर्भ में कार्रवाई शुरू करनी चाहिए और निर्देश जारी करने चाहिए। बोर्ड, उपयुक्त मामले में,

विनियमन 44 के तहत कार्रवाई कर सकता है और निर्देश जारी कर सकता है, लेकिन जब वह ऐसे निर्देश जारी करता है, तो उसे प्रतिभूति बाजार के हित को ध्यान में रखना चाहिए और निवेशकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। सत्ता का अस्तित्व और प्रदान करना और कानून के अनुसार शक्ति का उचित और वैध प्रयोग दो अलग-अलग पहलू हैं।

77. हम अब द्वारा पारित आदेश को पुनः प्रस्तुत करेंगे

निर्देश जारी करने के कारणों को दर्ज करने वाला पूर्णकालिक सदस्यः

" 31. मेरे विचार में, मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ, अधिग्रहण विनियम, 1997 के अनुसार सार्वजनिक घोषणा करने की आवश्यकता के सामान्य नियम से विचलित होने का कोई कारण नहीं बताते हैं क्योंकि यह अधिग्रहण विनियम, 1997 के हित में होगा।

लक्षित कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक। 32. इस मामले में, चूंकि नोटिस प्राप्तकर्ताओं द्वारा आवश्यक सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई है, के. एल. एल. ने विनियमन 10 का उल्लंघन किया है और प्रवर्तक समूह ने विनियमन 11 (1) का उल्लंघन किया है, जैसा कि चर्चा की गई है।

ऊपर। मैं ध्यान देता हूं कि अधिग्रहण विनियम, 1997 को अधिग्रहण विनियम, 2011 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

भारत के विनियमन और विनिमय बोर्ड के संदर्भ में v. सुनील इशना खेतान और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

35 ( 2 ) ( ख) अधिग्रहण विनियम, 2011 के अनुसार, निरस्त विनियमों के तहत अर्जित, उपार्जित या उपार्जित दायित्व,

निरस्त कर दिया। वर्तमान मामले में, नोटिस प्राप्तकर्ताओं ने 12 मार्च, 2007 को अधिग्रहण विनियम, 1997 के विनियम 10 और 11 (1) के तहत दायित्व को लागू किया और विनियम 14 (1) के अंतराल पर वे 12 मार्च, 2007 से 4 दिनों के भीतर आवश्यक सार्वजनिक घोषणा करने के लिए बाध्य थे। इस प्रकार, नोटिसकर्ताओं ने अधिग्रहण विनियम, 1997 को निरस्त करने से पहले यह दायित्व वहन किया था और दायित्व को अधिग्रहण विनियम, 1997 के तहत पूरा किया जाना है। 33. चूंकि विनियम 10 और 11 के तहत दायित्व दोनों इस मामले में ओवरलैप हुए हैं, जैसा कि 'स्वीडिश मैक' मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, इसलिए नोटिसकर्ता विनियम 10 और 11 के तहत एक संयुक्त सार्वजनिक घोषणा करेंगे, जिसे विनियम के साथ पढ़ा जाएगा।

14 ( 1 ) अधिग्रहण विनियम, 1997।

34. यदि नोटिसकर्ता अधिग्रहण विनियम, 1997 विनियमों के अनुसार सार्वजनिक घोषणा करते और अधिग्रहण विनियम, 1997 के तहत निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सभी संबंधित गतिविधियों का पालन करते, तो उनकी सार्वजनिक घोषणा और खुले प्रस्ताव के संबंध में सभी औपचारिकताएं 15 जून, 2007 को पूरी हो जाती। चूँकि सूचना देने वाले निर्धारित समय के भीतर सार्वजनिक घोषणा करने में विफल रहे हैं और इस आदेश के अनुपालन में सार्वजनिक घोषणा देरी के बाद होगी, इसलिए सूचना देने वाले उन शेयरधारकों को अधिग्रहण विनियम, 1997 के तहत प्रदान की गई राशि पर ब्याज का भुगतान करेंगे जो खुले प्रस्ताव में अपने शेयर देते हैं और जो कानून के अनुसार ब्याज के लिए पात्र हैं।

35. इसलिए, मैं, एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 की धारा 19,11 और 11 बी और एस. ई. बी. आई. के विनियम 44 और 45 (शेयरों और परिसंपत्तियों का पर्याप्त अधिग्रहण) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता हूं।

अधिग्रहण) विनियम, 1997, जिसे एस. ई. बी. आई. (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) के विनियम 32 (1) (एच) के साथ पढ़ा जाता है।

विनियम, 2011, इसके द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी करता हैः

( अ)

नोटिस देने वाले, श्री सुनील कृष्ण खेतान, श्री कृष्ण

खेतान, खेतान-लेफिन लिमिटेड और द ओरिएंटल मर्केंटाइल

कंपनी लिमिटेड एक संयुक्त सार्वजनिक करेगी नियम 10 और [2022] 18 एस. सी. आर. के संदर्भ में टारगेट कंपनी, खेतान इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयरों का अधिग्रहण करने की घोषणा।

11 ( 1 ) इस आदेश की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर, एस. ई. बी. आई. (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 1997। नोटिस पाने वाले, विचार राशि के साथ, भुगतान करेंगे।

( ख)

उन शेयरधारकों को 16 जून, 2007 से प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से ब्याज, जो उल्लंघन की तारीख को लक्षित कंपनी में शेयर धारण कर रहे थे और जिनके शेयरों को लाभांश, यदि कोई हो, के समायोजन के बाद खुले प्रस्ताव में स्वीकार कर लिया गया है।

78. दूसरी ओर, अपीलीय न्यायाधिकरण ने दिया है कि

कुछ कारण हैं कि उपरोक्त निर्देश क्यों अस्वीकार्य थे और

घ को अलग रखा जाएः

" 35. तत्काल मामले में भी निर्विवाद तथ्य के रूप में, प्रवर्तक समूह वर्ष 1975 में अपनी स्थापना के बाद से ही कंपनी के नियंत्रण में रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी 5 प्रतिशत की तेजी से अधिग्रहण की सीमा के निहितार्थ से अवगत थे और इसलिए, कुछ वारंटों को समाप्त होने देकर और उन्हें शेयरों में परिवर्तित नहीं करके विनियमन 11 का उल्लंघन नहीं किया। वास्तव में, न्यायाधिकरण ध्यान दें कि प्रासंगिक अवधि के दौरान लगभग 7 अधिग्रहण हुए थे, लेकिन किसी भी समय अपीलकर्ताओं ने किसी भी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन 12 मार्च, 2007 को दो धर्मांतरणों के लिए। हम अभिलेखों से यह भी नोट करते हैं कि अपीलकर्ताओं ने हमेशा कार्य किया है

संबंधित स्टॉक एक्सचेंज को सही तरीके से रखते हुए और प्रत्यर्थी ने वास्तविक घटनाओं के बारे में सूचित किया

शेयरों के अधिग्रहण और संबंधित के संबंध में

शेयरधारिता पद्धति में परिवर्तन। इस संबंध में, न्यायाधिकरण ने द्वारा की गई विभिन्न निगमित घोषणाओं का अवलोकन किया है

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को उनके बारे में सूचित किया

मार्च 2006, जून 2006, सितंबर 2006 और दिसंबर 2006। 10 अप्रैल, 2006,13 अक्टूबर, 2006 और 11 अप्रैल, 2007 के पत्र

आदि अभिलेख में हैं और न्यायाधिकरण द्वारा उनका अवलोकन किया गया है।

36. इसी तरह, यह ध्यान दिया जाता है कि 12 मार्च, 2007 को वारंटों के दो रूपांतरण, जो अलग-अलग लेनदेन थे, पहले किश्त में आवंटित 5 लाख शेयरों के बराबर थे।

प्रवर्तक समूह को परिवर्तन के अनुसार आवंटित किया गया था

Rs.60 प्रति शेयर की दर से वारंट, और शेयरों में

8 लाख के वारंट वाले दूसरे लेन-देन को भारत के क्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड में परिवर्तित किया गया।

सुनील इशना खेतान और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

Rs.131 प्रति शेयर की दर से। हालाँकि, दोनों कार्यकाल अलग-अलग थे, उन्हें एक ही तारीख को निष्पादित किया गया था और प्रवर्तक समूह द्वारा अधिग्रहण के संबंध में 5 प्रतिशत की क्रिपिंग अधिग्रहण सीमा को स्पष्ट रूप से पार कर दिया गया था। इसलिए, तकनीकी रूप से 1997 की अधिग्रहण संहिता के विनियमन 11 (1) का उल्लंघन है। के लिए इस उल्लंघन पर, हमारी राय है कि इस विलंबित चरण में कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करने के लिए अपीलकर्ताओं को एक संयुक्त सार्वजनिक घोषणा करने के लिए बुलाने के बजाय एक उपयुक्त मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना चाहिए। सार्वजनिक घोषणा करने की आवश्यकता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पूरी तरह से अनावश्यक होगी और इससे कोई फायदा नहीं होगा। द.

विचाराधीन शेयरों के तरजीही आवंटन का उद्देश्य केवल कंपनी के दिन-प्रतिदिन के सुचारू कामकाज के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करना था। इसलिए, एक स्थिर, कम

लागत वित्तपोषण-स्रोत, जैसे कि अधिमान्य आवंटन, कंपनी के व्यापक हितों में किया गया था और वास्तव में, इसके शेयरधारक। इस संबंध में, यह ध्यान रखना उचित है कि 23 मार्च, 2006 और 29 नवंबर, 2006 को आयोजित दो विधिवत आयोजित ईजीएम में कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी लेने के बाद तरजीही शेयरों का आवंटन किया गया था।

37. अंत में, अधिग्रहण/घटनाएँ वर्ष 2006-2007 से संबंधित हैं। प्रतिवादी द्वारा 26 मार्च, 2012 को कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था। अपीलार्थियों के खिलाफ कार्यवाही करने के बाद, विवादित आदेश केवल 31 दिसंबर, 2012 को पारित किया गया। हम ध्यान देते हैं कि लगभग 5 साल की अत्यधिक देरी हो रही है

यहां तक कि कारण बताएँ नोटिस जारी करने में भी और इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उत्तरदाता को विधिवत रखा गया था अपीलार्थियों द्वारा वर्ष में सभी लेन-देनों/अधिग्रहणों के साथ-साथ विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों जैसे अन्य संबंधित प्राधिकरणों को जानकारी दी गई, लेकिन वर्षों तक कथित उल्लंघन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा, उस बिंदु को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए जब उस पर लगाए गए दंड को संशोधित किया जाए

अपीलकर्ताओं का कहना है कि प्रतिभूति बाजार एक अस्थिर और स्पंदनशील संरचना है जिसमें घटनाएं आश्चर्यजनक रूप से तेज गति से सामने आती हैं। हम. यह महसूस करना कि अपीलकर्ताओं को आज शेयरों का अधिग्रहण करने के लिए एक संयुक्त सार्वजनिक घोषणा करने के लिए मजबूर करना अन्यायपूर्ण होगा और एक गुणकारी तकनीकी दोष के लिए अच्छे से अधिक नुकसान का कारण बनेगा, जो हमारी राय में क्षमा योग्य है। वास्तव में, इस न्यायाधिकरण ने लगातार यह विचार रखा है कि तकनीकी उल्लंघन के ऐसे मामलों में एक [2022] 18 एस. सी. आर.

किसी दी गई स्थिति की तथ्यात्मकता को ध्यान में रखते हुए न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मौद्रिक दंड लगाया जा सकता है।

79. हम अंतिम पैराग्राफ में दिए गए निर्देशों को दरकिनार करने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए तर्क से पूरी तरह सहमत हैं।

कारणों से। इस प्रकृति के निर्देश स्वचालित नहीं हैं और केवल तभी जारी किए जाने हैं जब वे आवश्यक और उचित हों। अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश में जारी किए गए निर्देशों की विसंगतियों और बेतुकी बातों को उजागर किया गया है और उन पर ध्यान दिया गया है। 80. 9 सितंबर 2011 को पी. एल. एल. द्वारा की गई सार्वजनिक घोषणा के अनुसार 19 सितंबर 2011 को अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत प्रस्ताव पत्र के मसौदे को संशोधित करने के निर्देश के रूप में माधुरी एस. पिट्टी के मामले में बोर्ड द्वारा 17 दिसंबर 2012 को पत्र के माध्यम से दिया गया निर्देश, यह कहा जाना चाहिए, बल्कि अजीब है और वस्तुनिष्ठता और तर्क की अवहेलना करता है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह ध्यान में रखते हुए सही कहा कि बोर्ड की ओर से उस प्रावधान के बारे में स्पष्टता की कमी थी जिसके तहत शक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियम 18 के तहत बोर्ड की शक्ति प्रस्ताव पत्र में परिवर्तन, यदि कोई हो, को निर्दिष्ट करना है, बिना ऐसा करने के लिए बोर्ड की ओर से कोई दायित्व होने के, और उसके बाद व्यापारी बैंकर और

' अधिग्रहणकर्ता को पत्र से पहले ऐसे परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है

प्रस्ताव शेयरधारकों को भेजा जाता है। उप-विनियम (2) के अनुसार, उप-विनियम (1) के संदर्भ में बोर्ड को प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से 21 दिनों से पहले शेयरधारक को प्रस्ताव पत्र भेजा जाना है। इस मामले में, प्रस्ताव पत्र में संशोधन के लिए बोर्ड के निर्देश एक वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद जारी किए गए थे क्योंकि प्रस्ताव पत्र का मसौदा 19 सितंबर को भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड v.

सुनील कृष्ण खेतान और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

2011 और निर्देश 17 दिसंबर 2012 के पत्र के माध्यम से जारी किए गए थे। इसके अलावा, ये निर्देश इस कारण से थे कि अधिग्रहणकर्ता सुदूर अतीत में, यानी वर्ष 2006 और 2007 में अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियम 10 का पालन करने में विफल रहा था। स्पष्ट रूप से, यह बोर्ड द्वारा विवेक का सनकी और मनमाना प्रयोग है जिससे अराजकता और भ्रम पैदा होता।

81. हममें से एक द्वारा लिखे गए फैसले में यह अदालत (संजीव)

भावेश पाबरी (ऊपर) में खन्ना, जे. ने अधिनियम के अध्याय VI-ए के तहत कार्यवाही शुरू करने में देरी और विलंब के सवाल और कानून के सिद्धांत की जांच की थी कि जब कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की जाती है तो उचित समय के भीतर कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए और उचित समय क्या होगा, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इस संबंध में, यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया थाः

" 35. अपीलकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि किसी भी निर्धारित सीमा अवधि के अभाव में, एस. ई. बी. आई. को प्रदर्शन जारी करना चाहिए था।

उचित समय के भीतर कारण सूचना दी जानी चाहिए थी और 2014 में कारण दर्शाओ नोटिस जारी करने में लगभग 8 साल की देरी होने के कारण, कार्यवाही को हटा दिया जाना चाहिए था। यह तर्क न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष लिखित प्रस्तुतियों या प्रस्तुत उत्तर में नहीं उठाया गया था। यह स्पष्ट नहीं है कि इस तर्क पर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष बहस की गई थी या नहीं। ऐसे निर्णय हैं जो मानते हैं कि जब सीमा की अवधि निर्धारित नहीं की जाती है, तो ऐसी शक्ति का प्रयोग उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए। क्या होगा? उचित समय, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, चूक/क़ानून की प्रकृति, पूर्वाग्रह के कारण, क्या तीसरे पक्ष के अधिकार बनाए गए थे, आदि पर निर्भर करेगा। वर्तमान मामले में कारण दर्शाओ नोटिस में विशेष रूप से संबंधित का उल्लेख किया गया था

डिफ़ॉल्ट की तारीखें और अनुपालन की तारीख, जो 30-8-2011 से 29-11-2011 के बीच की गई थी (देरी 927 दिनों से 1897 दिनों के बीच थी)। अनुपालन किए जाने पर ही चूक के बारे में पता चला था। उपरोक्त पृष्ठभूमि में, और इसलिए लगाए गए जुर्माने/जुर्माने की मात्रा को देखते हुए, हमें अच्छा आधार नहीं मिलता है

और हस्तक्षेप करने का कारण "।

82. उपरोक्त उद्धरण में दिए गए निर्देशों को किसी भी समय कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिकारियों/बोर्ड को सशक्त बनाने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। अधिनियम द्वारा निर्धारित किसी भी अवधि और सीमा के अभाव में, प्रत्येक प्राधिकारी को एक उचित अवधि के भीतर शक्ति का प्रयोग करना है। उचित अवधि क्या होगी, यह तथ्यों [2022] 18 एस. सी. आर. पर निर्भर करेगा।

प्रत्येक मामले के बारे में, जैसे कि क्या उल्लंघन को छिपाया गया था और छिपाया गया था और इस तरह बोर्ड या अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं थी। हालाँकि, इस संबंध में कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं प्रश्न का निर्धारण प्रत्येक मामले के तथ्यों, क़ानून की प्रकृति, उसके तहत अधिकारों और देनदारियों और अन्य परिणामों पर निर्भर करेगा, जिसमें पूर्वाग्रह भी शामिल है और क्या तीसरे पक्ष के अधिकार बनाए गए हैं, ये प्रासंगिक कारक हैं। जब भी कारण बताएँ नोटिस जारी करने में अत्यधिक देरी के संबंध में कोई प्रश्न किया जाता है, तो वह खुला रहता है।

नोटिस प्राप्तकर्ता को यह तर्क देने के लिए कि कारणदर्शक नोटिस देरी के आधार पर गलत है और प्राधिकरण/अधिकारी का कर्तव्य है कि वह प्रश्न पर निष्पक्ष, निष्पक्ष और तर्कसंगत तरीके से विचार करे। बासी मामलों पर समय न लगाने और खर्च न करने में जनहित शामिल है और इसलिए, शक्ति का प्रयोग, भले ही कोई समय निर्दिष्ट न हो, इसके भीतर किया जाना चाहिए। उचित समय। यह न्याय की विफलता, दुरुपयोग और शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है और साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि प्रावधानों के उल्लंघन को बिना किसी देरी के रोका और दंडित किया जाए, जिससे उद्देश्य प्रभावी हो जाता है।

अधिनियम के पीछे।

83. हम पहले ही अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियम 6,7 और 8 का उल्लेख कर चुके हैं, जिसके लिए अधिग्रहणकर्ता/शेयरधारकों को

कंपनी के साथ-साथ उस स्टॉक एक्सचेंज को प्रकटीकरण जहां शेयर सूचीबद्ध हैं। विनियम 6,7 और 8 के उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया गया है। हालांकि यह सच है कि उक्त खुलासे और खुलासों की सार्वजनिक सूचना

शेयर की कीमत में हेरफेर या उतार-चढ़ाव, जो निवेशकों के हितों के लिए हानिकारक था। बोर्ड का यह मामला नहीं है कि अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियम 11 (1) के उल्लंघन के कारण उत्तरदाताओं द्वारा कोई अप्रत्याशित लाभ या लाभ किया गया है। पूर्णकालिक सदस्य द्वारा पारित आदेश, वास्तव में, निवेशकों/शेयरधारकों के मामले में प्रतिभूति बाजार पर आदेश के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। 66 गुजरात राज्य बनाम देखें। पाटिल राघव नाथ और अन्य, (1969) 2 एस. सी. सी. 187 पैरा 11 पर; मानसरामव। एस. पी. पाठक और अन्य, (1984) 1 एस. सी. सी. 125 पैरा 12 पर; भारत सरकार बनाम। सीटेडल फाइन फार्मास्युटिकल्स, मद्रास और अन्य, (1989) 3 एस. सी. सी. 483 पैरा 6 पर; उड़ीसा राज्य और अन्य। वृंदावन शर्मा और एक अन्य, 1995 सप्लीमेंट (3) एस. सी. सी. 249 पैरा 16 पर; पंजाब राज्य और अन्य। भटिंडा जिला सहकारी समिति। दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, (2007) 11 एस. सी. सी. 363।

16 जून, 2007 को लक्षित कंपनी में 31 दिसंबर, 2012 को या उसके बाद अपने शेयरों को बेचने का विकल्प दिया जाता है, जिसमें कार्यशील बाजार स्थान पर व्यवधान की संभावना, बाजार स्थान/निवेशक के विश्वास पर हानिकारक प्रभाव, पूर्वव्यापी निर्देशों का कानून की शांति पर गुणात्मक प्रभाव और कानूनी स्थिरता के साथ-साथ कानून के संरक्षक के रूप में बोर्ड पर लोगों के विश्वास और विश्वास को कम करना शामिल है। इसलिए, निर्देशों को कायम नहीं रखा जा सकता है।

84. बोर्ड के तर्क में कुछ योग्यता है कि अपीलीय न्यायाधिकरण जुर्माना नहीं लगा सकता था, जैसा कि नीचे देखा और माना गया है।

धारा 15-एच के तहत जब बोर्ड द्वारा उक्त धारा के तहत कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 15-एच के तहत जुर्माना लगाने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था।

हालांकि, बोर्ड द्वारा उठाए गए तर्क का प्रभाव यह होगा कि विनियमन 44 के तहत पूर्णकालिक सदस्य द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाएगा और रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए, प्रत्यर्थी अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियम 11 (1) के उल्लंघन के लिए कोई जुर्माना दिए बिना भाग जाते। इसी तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में हमें वर्तमान अपीलों पर निर्णय लेना है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, प्रत्यर्थियों ने अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियम 11 (1) के उल्लंघन के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा लगाए गए दंड को चुनौती देने वाली अपील या परस्पर आपत्तियां दायर नहीं की हैं।

एफ. की धारा 15 टी के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण की शक्ति

अधिनियमः

85. वर्तमान अपीलों का अंतिम पहलू अपीलीय न्यायाधिकरण की शक्ति से संबंधित है। 67 अधिनियम की धारा 15-टी निम्नानुसार हैः 6 68

" 15 टी. प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करें।

( 1 ) उप-धारा (2) में दिए गए प्रावधान के अलावा, कोई भी व्यथित व्यक्ति,

( क) प्रतिभूति कानून (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रारंभ पर और उसके बाद बोर्ड के एक आदेश द्वारा,
इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियम या विनियम; या

( ख) इस अधिनियम के तहत एक न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश द्वारा, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करना पसंद कर सकते हैं -

मामले में अधिकार क्षेत्र।

( 2 ) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में कोई अपील नहीं होगी

एक आदेश दिया गया -

67 2012 की अपील संख्या 23 में विवादित निर्णय के संदर्भ में। 68 जैसा कि यह 2014 और 2017 के संशोधन से पहले मौजूद था।

( क) प्रतिभूति कानून (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रारंभ होने पर और उसके बाद बोर्ड द्वारा;

( 3 ) उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक अपील उस तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर दायर की जाएगी जिस दिन आदेश की एक प्रति दायर की जाएगी। बोर्ड या न्यायनिर्णायक अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा किया गया

होना, उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है और यह इस रूप में होगा और होगा

बशर्ते कि प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण एक पैंतालीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील यदि यह संतुष्ट है कि उस अवधि के भीतर इसे दाखिल नहीं करने का पर्याप्त कारण था

अवधि।

( 4 ) उप-धारा (1) के तहत अपील की प्राप्ति पर, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, अपील के पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसा वह सोचता है।

( 5 ) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण अपने द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति बोर्ड, अपील के पक्षों और संबंधित न्यायनिर्णायक अधिकारी को भेजेगा। ( 6 ) उप-धारा (1) के तहत प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर अपील पर उसके द्वारा यथासंभव शीघ्रता से विचार किया जाएगा और उसके द्वारा अपील का अंत में निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा।

अपील की प्राप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर।

86. बोर्ड ने तर्क दिया है कि अपीलीय न्यायाधिकरण, धारा 15-टी के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए और अपीलों पर विचार करते हुए

अधिनियम की धारा 11 और 11 बी और अधिग्रहण विनियमन, 1997 के विनियमन 44 के तहत कार्यवाही के खिलाफ, बोर्ड के निर्देशों को धारा 15-एच के तहत मौद्रिक दंड के साथ परिवर्तित नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार, विवादित आदेश उत्तरदाताओं के खिलाफ बोर्ड के निर्देश को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता थाः ( क) विनियम 11 के संदर्भ में एक सार्वजनिक प्रस्ताव दें; और (ख) 16 जून, 2007 से शेयरधारकों को प्रतिफल के भुगतान की तारीख तक 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ प्रतिफल राशि का भुगतान करें, जिसमें निम्नलिखित मौद्रिक दंड का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है - अधिग्रहण विनियमन 1997 के विनियमन 11 (1) के उल्लंघन के लिए 00,000। हमने पहले के पैराग्राफ, भारत के सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v में तर्क का संक्षेप में उल्लेख किया है।

सुनील कृष्ण खेतान और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

और उसी पर टिप्पणी की। हमने पूर्णकालिक सदस्य के निर्देश को जुर्माने के साथ प्रतिस्थापित करने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए तर्क को भी दोहराया है।

87. धारा 15 टी के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील,

बोर्ड या न्यायनिर्णायक अधिकारी के निर्णय के खिलाफ पहली अपील है। पहली अपील मूल न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की कार्यवाही की निरंतरता या सह-समाप्ति है। 69 पहली अपील पीड़ित पक्ष का एक मूल्यवान अधिकार है, और बोर्ड या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा तय किए गए तथ्य और कानून के सभी प्रश्न, जिसमें कानून के भीतर विवेकाधिकार का प्रयोग भी शामिल है, पूर्ण विचार और जांच के लिए खुले हैं। " अपीलीय न्यायाधिकरण के पास, किसी भी सीमा के अभाव में, अपील का निपटान करने की पूर्ण शक्तियाँ हैं। 1 यह वही कर सकता है जो बोर्ड /

स्वीडिश मैच (ऊपर) में उचित रूप से संक्षेपित किया गया है, जिसमें यह आयोजित किया गया हैः 69 देखें, आयकर आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ बनाम। कानपुर कोल सिंडिकेट, कानपुर, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 325; जूट निगम। ऑफ इंडिया लिमिटेड v. आयकर आयुक्त और

एक अन्य, 1991 सप (2) एस. सी. सी. 744; आयकर आयुक्त, एम. पी., भोपाल बनाम निर्भेरम दलूराम, (1997) 10 एस. सी. सी. 373; नेशनल थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड बनाम। आयकर आयुक्त, (1997) 7 एस. सी. सी. 489।

70 क्लैरियंट इंटरनेशनल लिमिटेड और अनदरव। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, (2004) 8 एस. सी. सी. 524:

77. बोर्ड। बोर्ड अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग विनियम, कार्यकारी बनाकर करता है।

उसके द्वारा बनाए गए विनियमों को प्रशासित करके और उनके विरुद्ध कार्रवाई करके शक्ति

व्यापक शक्तियाँ यह हैं कि इसे संविधान और अधिनियम का पालन करना चाहिए। में। मामले का वह दृष्टिकोण। जहाँ एक विशेषज्ञ न्यायाधिकरण का गठन किया गया है,

इसके अंत में जांच को व्यापक महत्व का माना जाना चाहिए। न्यायाधिकरण। एक और अतः विशेषज्ञ निकाय को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

बिना किसी सीमा के कानून द्वारा उस पर।

( जोर दिया गया)

1 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम। ओपी स्टॉक-लिंक लिमिटेड और अन्य, (2016) 14 एस. सी. सी. 134:

" 15. एस. ए. टी. द्वारा पारित विवादित आदेश के अवलोकन पर, हम कोई नहीं पाते हैं

एस. ए. टी. द्वारा इस प्रभाव के लिए विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचा कि द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष

एस. ई. बी. आई. के पूर्णकालिक सदस्य के साथ-साथ न्यायनिर्णायक अधिकारी [2022] 18 एस. सी. आर. थे।

" 84. यह सच हो सकता है कि बोर्ड ने 4 तारीख के अपने विवादित आदेश में

6-2002 एक गलत आधार पर आगे बढ़े कि

विनियम 12, विनियम 12 में संलग्न परंतुक होगा -

आकर्षित किया। लेकिन हमारी राय में एस. ए. टी. ने प्रावधानों का सही अर्थ निकाला। विनियम 11 और 12 के एक निष्कर्ष पर पहुंचने में कि विनियम 11

इसे आकर्षित किया जाएगा और विनियमन 12 नहीं होगा। न्यायाधिकरण मामले के बारे में एक अलग दृष्टिकोण लेने का अधिकार था

अपील में अंतिम परिणाम को बनाए रखने की दृष्टि से बोर्ड अपनी अपीलीय शक्ति का प्रयोग। अपीलीय में ऐसी शक्ति

न्यायालय/न्यायाधिकरण में निहित सिद्धांतों के समान या अनुरूप है

सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 41 नियम 33। अन्यथा भी,

किसी भी स्थिति में, न्यायाधिकरण का तर्क इस पर प्रबल होगा बोर्ड "।

( जोर दिया गया)

88. वर्तमान अपील के संदर्भ में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि

सुनील कृष्ण खेतान के मामले में अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियम 44 के तहत निर्देशों के रूप में एक आदेश जारी किया गया था। यह वह आदेश था जिसे अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती का विषय बनाया गया था। इस प्रकार हम बोर्ड के इस तर्क को स्वीकार नहीं करते हैं कि अपीलीय न्यायाधिकरण अपीलीय शक्ति का प्रयोग करते हुए अपील में दिए गए निर्देशों को दरकिनार और रद्द नहीं कर सकता था।

89. उसी समय, सुनील कृष्ण खेतान के मामले की कार्यवाही में

इसलिए, अपीलीय न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 15-एच के तहत जुर्माना लगाने के खिलाफ अपील पर सुनवाई नहीं कर रहा था। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 15-एच के तहत एक आदेश एक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित किया जाता है, जिसे जुर्माना लगाते समय, कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक है। धारा 15-जे. 72 में उल्लिखित

गलत है। एस. ए. टी. के समक्ष अपील पहली अपील की प्रकृति में थी और इसलिए,

यह एस. ए. टी. के लिए तथ्यों को देखने के बाद साक्ष्य की पुनः सराहना करने के लिए खुला था

मामला लेकिन विवादित आदेश के अवलोकन पर, हमें ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं मिलता है

इस प्रभाव के लिए कि निष्कर्ष पूरे समय के सदस्य के साथ-साथ

एस. ई. बी. आई. का निर्णय अधिकारी किसी विशेष के लिए गलत या विकृत था। कारण "।

( जोर दिया गया)

7215J.Factors को न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा ध्यान में रखा जाएगा।

90. हमने विनियमन 45 का भी उल्लेख किया है जो उप-विनियमन में है।

( 6 ) विभिन्न प्रकार के दंड को संदर्भित करता है जो विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर लगाया जा सकता है। अपीलीय न्यायाधिकरण के पास पहली बार अधिग्रहण विनियम, 1997 के विनियम 44 के तहत जारी निर्देशों के खिलाफ अपील का निर्णय लेते समय अधिनियम के अध्याय VI-A के तहत विनियमों के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए दंड शुरू करने और उस पर दंड लगाने की शक्ति नहीं है। वह शक्ति अधिनियम या विनियमों में निर्दिष्ट प्राधिकरण के पास निहित है। अपीलीय न्यायाधिकरण एक अपीलीय मंच है न कि वह प्राधिकरण जो धारा 15-एच के तहत दंड कार्यवाही शुरू करने के लिए सशक्त है। या अधिनियम की धारा 11,11 बी या 11 (4) (डी) के तहत स्वतः निर्देश जारी करें। यह जारी किए गए निर्देश को बरकरार रख सकता है या अलग कर सकता है, या अधिग्रहण विनियमों के विनियम 44 के तहत जारी किए गए निर्देश को संशोधित और प्रतिस्थापित कर सकता है।

1997 अधिनियम की धारा 11,11 बी और 11 (4) (डी) के साथ पढ़ें। इसी तरह, अपीलीय न्यायाधिकरण धारा Act.The के संदर्भ में दंड शुरू करने और लगाने की शक्ति के अध्याय VI-A के तहत दंड के आदेश को बरकरार रख सकता है, अलग कर सकता है, संशोधित कर सकता है और यहां तक कि प्रतिस्थापित कर सकता है, जो बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अधिकारी के पास निहित है, जो मंडल आयुक्त के पद से कम नहीं है।

धारा 15-I के तहत जुर्माने की मात्रा का निर्णय करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी को निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखना होगा, अर्थात्:

( क) चूक के परिणामस्वरूप किए गए असमान लाभ या अनुचित लाभ की राशि, जहां भी मात्रात्मक हो;
( ख) चूक के परिणामस्वरूप किसी निवेशक या निवेशकों के समूह को हुए नुकसान की राशि;

( ग) डिफ़ॉल्ट 7315-I की दोहराए जाने वाली प्रकृति। निर्णय लेने की शक्तिः ( 1 ) बोर्ड धारा 15 ए, 15 बी, 15 सी, 15 डी, 15 ई, 15 एफ, 15 जी, 15 एच, 15 एचए और 15 एचबी के तहत निर्णय लेने के उद्देश्य से, किसी भी संबंधित व्यक्ति को कोई जुर्माना लगाने के उद्देश्य से सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद निर्धारित तरीके से जांच करने के लिए एक प्रभाग प्रमुख के पद से नीचे के किसी भी अधिकारी को एक न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा।

( 2 ) जाँच करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारी को साक्ष्य देने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को बुलाने और उसकी उपस्थिति को लागू करने की शक्ति होगी या कोई ऐसा दस्तावेज पेश करने की शक्ति होगी जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जाँच के विषय के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो और यदि ऐसी जाँच पर उसका समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी धारा के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा है, तो वह ऐसा जुर्माना लगा सकता है जो वह उन धाराओं में से किसी के प्रावधानों के अनुसार उचित समझता है। ( 3 ) बोर्ड इस धारा के तहत किसी भी कार्यवाही के अभिलेख की मांग और जांच कर सकता है और यदि वह यह समझता है कि न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश इस हद तक गलत है कि वह प्रतिभूति बाजार के हित में नहीं है, तो वह ऐसी जांच करने या करने के बाद, जो वह आवश्यक समझे, जुर्माने की मात्रा को बढ़ाने का आदेश पारित कर सकता है, यदि मामले की परिस्थितियां इस तरह से उचित समझती हैं:

2 ] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में कार्य करना। न्यायनिर्णायक अधिकारी को किसी व्यक्ति को आरोपित करने के उद्देश्य से सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद निर्धारित तरीके से जांच करने की आवश्यकता होती है।

दंड। तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को बुलाने और उसकी उपस्थिति को लागू करने की शक्तियां न्यायनिर्णायक अधिकारी के पास निहित हैं और

साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए मामले की परिस्थितियाँ। 91. इस प्रकार, सुनील कृष्ण खेतान के मामले में 2013 की अपील संख्या 23 में अपीलीय न्यायाधिकरण दंड को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता था।

हमारी राय में, जब अपीलीय न्यायाधिकरण यह मानता है कि विनियम 10,11 और 12 के उल्लंघन पर पूर्णकालिक सदस्य द्वारा पारित आदेश टिकाऊ है, लेकिन विनियम 44 के तहत आदेश में दिए गए निर्देश टिकाऊ नहीं हैं, तो उसे बोर्ड के लिए कार्यवाही शुरू करने और अधिनियम के अध्याय VI-A के तहत आदेश पारित करने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए।

92. हालाँकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, किसी भी क्रॉस-अपील के अभाव में

2013 की अपील संख्या 23 (सुनील कृष्ण खेतान का मामला) में प्रत्यर्थी द्वारा या प्रति-आपत्ति, हम अधिग्रहण विनियम 1997 के विनियम 11 (1) के उल्लंघन के लिए Rs.25,00,000/- का जुर्माना लगाने वाले आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। उक्त दिशा को अंतिम रूप मिल गया है। साथ ही, हम यह निर्देश देने के लिए इच्छुक हैं कि बोर्ड मामले को शांत करेगा और अधिनियम के अध्याय VI-A के तहत कार्यवाही शुरू नहीं करनी चाहिए।

93. उपरोक्त कारणों और आधारों के लिए, बोर्ड द्वारा प्रस्तुत दीवानी अपीलों को स्पष्टीकरण के साथ खारिज कर दिया जाता है -

अध्याय VI-A की धारा 15-T के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण की शक्ति अधिनियम, जो चुनौती के तहत आदेश की शुद्धता और वैधता की जांच तक सीमित है।

94. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

अंकित ज्ञान ( सहायकः अदनान खान, एलसीआरए)

बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया होः बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश या धारा 15 टी के तहत अपील के निपटारे की तारीख से तीन महीने की अवधि की समाप्ति के बाद लागू नहीं होगा, जो भी पहले हो।